THE LALIT KALA AKADAMI (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over of the management of the Lalit Kala Akadami for a limited period in the public interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT BY MINISTER

Targeted Public Distribution System:

खाघ मंत्री **तथा नागरिक पूर्ति**, **उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री** (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजानिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्नमूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। तथापि, मौजूदा सार्वजानिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रो को प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से अलोचना हुई हैं। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली के बेहतर मानीटरिग के साथ उन्हे विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव हैं।

जसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कहा गया हैं, इस संबंध में शुरूआत अर्थात् खाघान्न जारी करके करने का प्रस्ताव हैं,जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती हैं।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो. लाकड़ावाला की अध्क्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल कराके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष सहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाघान्न जारी करने का प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षो में खाघान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजानिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव हैं।

इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आबादी की आवश्यकता से अधिक हैं, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव हैं।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहू प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव हैं।

यह सर्वविदित हैं कि चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया गया हैं। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः तीन और चार बार वृद्वि की जा चुकी हैं। इन संशोधनो और अन्य आनुषंगिक खर्चो में वृद्वि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव हैं।

निर्गम मूल्य रू. कि.ग्रा.

		चावल			गेहूं	कुल राजसहायता
		कॉमन	फाइन	सुपर फाइन		करोड़ रू.
1.	गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	--	2.50	8282.90
1.	गरीबी रेखा से ऊपर	-	6.50	7.50	4.50	

लाक्षित सार्वजानिक वितरण प्रधाली बुनियादी रूप में गरीबी पर केंद्रित हैं और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत खाघ राज सहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रूपए की होगी। लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी. टन खाघान्न जारी किए जाने की संभावना हैं।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या मे लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता हैं या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्वि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाघान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूति कर सके।

लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लाक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ-भोगियों की पहचान करना, उन्हे विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभ-भोगियों के लिए खाघान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है और उन्हे सदन के पटल पर रखा गया हैं। मुझे पूरी उम्मीद हैं कि राज्य सरकारे इन दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गो को खाघान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।

श्री नरेन्द्र मोदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं .....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no, you have to send your name. I would like to know whether the Minister is prepared to answer your questions for clarification.

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं इसी पर स्पष्टीकरण चाहता हूं .....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no, you have to send your name. The Minister is willing. There are already other people who want to seek clarifications. Is the Minister willing to give clarifications now?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Normally the practive here is that...*(Interruptions)*...You are a member with a long standing reputation. Normally, the practice in the Rajya Sabha is that the hon. Minister make's a Statement and Members seek clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I do not deny the Members their right to seek clarifications. I would like to know whether he is free just now because sometimes he is in the Rajya Sabha and sometimes ...*(Interruptions)*...Please listen to me. ...*(Interruptions).*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य जो भी क्लेरिफिकेशन पूछें , मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं .....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Excuse me, I am not denying the right of the hon. Members to seek clarifications. I am only willing. Sometimes in the Rajya Sabha we have even had clarifications later. I just wanted to know if the. Minister is ready.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): You can ask the Members if they are ready to seek clarifications or they want to....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): They have already given their names. The Minister is ready. Here is the list of names.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Sir, I am a bit hesitant to welcome this major move to meet the aspirations and needs of the poor people of this country precisely for one particular reason which this Statement itself admits. A well-targeted and properly functioning public distribution system is an important constituent for the strategy of poverty eradication. Hon. Vice-Chairman, Sir, it is tragic that the country has seen that the public distribution system, including the revamped public distribution system has failed miserably to make food, reach the targeted and poor people of this country. I may remind the hon. Minister—and he must be aware of this—that the investigations conducted by the

Government intelligence agencies revealed that 70% of the foodgrains supplied through the PDS never reached the targeted people, the really poor people of this country. The Minister has stated in his statement that the families which are below the poverty line would be issued special cards. My point is, how are you going to ensure that the scheme is not misused by the State Governments? How does the Central Government monitor and control if a State Government issues special cards more than it is entitled to and claiming thereby a higher quantity of foodgrains from the Central pool. It is likely to lead to a situation where the really poor people in other States would not be able to get their quota and benefit from the scheme. What is the mechanism to ensure that special cards are issued only to those families which deserve them.

Para 4 of the statement says that the Government also proposes to extend the issue of specially subsidised foodgrains to the beneficiaries under the Employment Assurance Scheme and the Jawahar Rozgar Yojana and issue of one kilogram of rice/wheat per day per person. I don't find any justification in this. You are giving an additional benefit to those who are entitled for a job under the special employment schemes. If you have surplus food, surplus funds, it is very well. Therefore, before this could be taken up, we must ensure the benefit to those poor people who have nothing else to fall back upon, who are not the beneficiaries of either the Employment Assurance Scheme or the Jawahar Rozgar Yojana. It is no use if you just enlarge the coverage and the really needy don't get any benefit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would request you to seek clarifications.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am only seeking clarifications.

Para 3 indicates that to start with the Government is proposing to issue 10 kilograms of foodgrains per family per month at half the issue price for all families which are below the poverty line. You are going to meet the needs of the people only partially. Ten kilograms of foodgrains for a family of five members would be totally insufficient. It would meet the consumpfion needs of the family only partially. It is too small for a family of five members. Ten kilograms of foodgrains is nothing for a month. One would like to know why you are not able to meet the needs of the poor people fully. If you are really serious to help the poor people, then you must increase the quantum. One would like to know how you are going to do this. Certain figures have been worked out. The Minister has given the formula which Prof. Lakdawala had advocated for estimating the number of families which are below the poverty line. One would like to know on what basis this formula has been put into practice for determining the needs of every »State. Another peculiarity is the assumption of average lifting. It is peculiar because it is said that the average lifting of foodgrains by the States for the last ten years is proposed to be continued for the benefit of the population above the poverty line. Sir, there are States in India which are supplying food on their own. If they are supplying food on their own, then you are denying them their' right to draw foodgrains from the Central pool at the reduced prices. You are discriminating them against the States which are actually supplying from the Central pool. They have never lifted from the Central pool. What are you going to do with those States which are supplying the foodgrains without drawing them from the Central pool? I would like to know if you are going to compensate such States. You should either compensate them in terms of money or remove the condition of average lifting for ten years.

These are my questions, I would request the hon. Minister to clarify them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Before I call the next speaker, I have to inform the House that there are 13 Members who want to seek clarifications on the subject. I, therefore, request them to put pointed clarifications. I would be grateful if they could conclude their speeches within five minutes. Now, Shri Ajit P.K. Jogi.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल चार-पांच बिंदुओं पर आदरणीय मंत्री जी से आप के माध्यम स्पष्टीकरण पूछना चाहता हू यह बधाई देते हुए कि उन्होने एक अच्छी पहल की हैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम का सही में लाभ पहुंचाने की उन की मंशा अच्छी हैं, पर उस के कार्यान्वयन के संबंध में मुझे कुछ संदेह हैं जिनके बारे में जानकारी चाहता हूं।

पहली बात तो यह हैं कि इस में आप ने प्रोफेसर लाकाड़ावाला की परिभाषा को अपनाया हैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए, लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में गरीबी रेखा निर्धारित करने की दूसरी परिभाषाएं हैं। आई.आ.डी.पी. में कोई अलग परिभाषा चल रही हैं। इस से एक गावं में एक जिले में दो तरह के गरीब हो जाएंगे। आई.डी.पी. का गरीब अलग होगा, सार्वजानिक वितरण प्रणाली का गरीब अलग होगा और किसी योजना का गरीब अलग होगा। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने मंत्रिमंडल के स्तर पर कोई एक परिभाषा नहीं लागू कर सकतें? एक ऐसी परिभाषा जो सब से अधिक मान्य हो। आप की दृष्टि में कौनसी परिभाषा सब से अधिक मान्य हैं? यह मेरा आप से पहला प्रश्न हैं।

दूसरे आप ने इस में आदिवासी इलाकों का कोई उल्लेख नहीं किया हैं। आदिवासी इलाकों में न तो अभी यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा चल रहा हैंऔर बाद में चलेगा क्योकि वहां न तो आप इस तरह की उचित मूल्य की दुकानें गांव-गांव में चला सकते हैं। कारण यह हैं कि देहातों और जगंलों में उन के तीन घर, चार घर बनाकर वे रहते हैं और वहां के लिए आप को दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आप की चलित दुकानों की व्यवस्था करनी पड़ेगा जो एक गांव से, एक मोहल्ले से, एक माजरे से,एक पारे से औरद एक हैमलेट से दूसरे हैमलेट जाए। क्या आप इसे ध्यान में रखरक व्यवस्था करेंगे? इसी तरह से आदिवासी इलाकों के लिए आप को हाट में भी इन दुकानों की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योकि जो वीकली मार्केट भरती हैं, वही आदिवासी खरीद-फरोख्त करता हैं। वहीं आप को यह दुकानें चलानी पड़ेगी। क्या आप आदिवासी इलाकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था शमिल करेंगे? यह मेरा आप से दूसरा स्पष्टीकरण हैं।

तीसरा स्पष्टीकरण आप से यह चाहता हूं कि आप ने इस में केवल दो ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को शामिल किया हैं कि उन में भी आप खाघान्न देंगे। उस के अलावा बहुत से प्लान वर्क्स चल रहे है, जैसे सिचाई विभाग का चल रहा हैं और लोक निर्माण विभाग का चल रहा हैं और उस में भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग मजदूरी करेंगे। उन के लिए भी आप मजदूरी का एक हिस्सा खाघान्न के रूप में देने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इस में उन को पैसा तो मिलेगा जोकि उचित व्यवस्था नहीं होगी। यह मेरा आप से तीसरा प्रश्न हैं।

मेरा चौथा प्रश्न यह हैं कि इस योजना का राजनीतिकरण होने की बहुत बड़ी आशंका हैं हर राज्य सरकार ऐसे लोगों को कार्ड देगी जिन को वह सोचेगी कि हमारी राजनीतिक पार्टी के प्रति इन का झुकाव हैं। इस से बचने के लिए आप क्या करेंगे? महोदय, आज देश में हर प्रातं में अलग-अलग राजनीतिक पार्टीयों की सरकारें हैं और वह लोग गरीबों को अपने चश्मे से देखेंगे। इस बात को दूर करने के लिए आप के मानीटरिंग सिस्टम में क्या उपाय हैं?

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह हैं कि आप ने दस किलोग्राम प्रति परिवार, प्रति माह देने की व्यवस्था की हैं। अगर दस लोगों का परिवार हैं तो यह एक व्यक्ति के लिए एक किलोग्राम एक महीने के लिए हुआ। महोदय, यह तो इतना अपर्याप्त हैं कि अगर मैं अपने मित्र के शब्द उधार ले लूं तो "तामाश" हैं और आप एक व्यक्ति को एक किलो एक महीने में देकर उन की क्या मदद करना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो ठीक से दीजिए, उचित व्यवस्था कीजिए और कम से कम इतना दीजिए कि वह उस के लिए महीनेभर को पर्याप्त हो जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

मैंने आप से पांच विशिष्ट प्रश्न पूछे है। आप इन पांचो को स्पष्ट उत्तर दें। धन्यवाद।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. The main objectives are agreed to by every

Member of the House, but, Sir, we have heard similar sentiments, all along. Yet. there is a wide gap between implementation and promises. That is why, my first point is...

श्री अजीत जोगी : हिंदी वाले मंत्री बैठे हैं, आप हिंदी में बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : अच्छा, जोगी जी हमारे शगिर्द रहे हैं, उनकी आज्ञा है कि हिंदी में बोलूं तो मैं उनकी आज्ञा है कि हिन्दी में बोलू तो मैं उनकी आज्ञा उनके आदेश का पालन करता हूं।

श्री अजीत जोगी : गुरू अगर शिष्य की आज्ञा माने तो उचित हैं?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मानना ही पड़ेगी। शुरू गुड ही रह गया और चेला शक्कर हो गया हैं।

महोदया मेरा पहला प्रश्न यह हैं कि जितनी भी प्रशासिनक कमजोरियां या समन्वय अभाव की कमजोरियां अभी तक वितरण प्रणाली में रही हैं, यह जो नई स्कीम हैं इससे दूर होगी? मैं समझता हूं कि यह एक सप्लीमेंटरी या पूरक स्कीम हैं, यह कोई सबस्टीट्यूट या पुरानी स्कीम नहीं हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी तक आपकी चल रही हैं प्रणाली या प्रथा या सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इत्यादि, क्या उनकी कमजोरियां को आपने देख लिया हैं और इसमें आपने उनके निराकरण का क्या इंतजाम किया हैं?

दूसरा प्रश्न मेरा यह हैं कि आपने जासे गइडलान्स या जो मार्गदर्शिका जारी की हैं, जो हम लोगों को दी नहीं गई हैं, कहा गया हैं, शायद रख दी गई हैं, लेकिन बांटी नहीं गई हैं, बांटी नहीं गई हैं इस वजह से मैं उसमें नहीं जाता, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मार्गदर्शिका में कौन से बिन्दु ऐसे हैं,जिनको आप प्रमुख और महत्वपूर्ण समझते हैं? कौन से ऐसे बिंदु पहले से मिन्न हैं जो मार्गदर्शिका मे निहित हैं और जो आपकी स्कीम को सफलीभूत और कारगर बनाने में प्रभावी होंगे? यह मैं आपसे कम्परेटिव तौर पर समझना चाहता हूं।

तीसरी चीज जो मैं चाहता हूं, जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर अजीत जोगी जी ने भी आपका ध्यान दिलाया हैं, कि जो आप यह नई मार्गदर्शिका दे रहे हैं, उसमें जो भिन्नताएं हैं क्षेत्र की, जैसे कि ट्राइबल या एथोनिक या कुछ और जो बिंदु हैं, जिनकी समस्याओं पर बहुत प्रश्न होते रहे हैं, क्या उन बिन्दुओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया हैं? ऐसे स्थान के लोगों की समस्याएं भी आपकी इस नई स्कीम के तहत हल हो सकेंगी?

चौथा प्रश्न, महोदय मैं जानने से पूर्व मैं आपका ध्यान पेराग्राफ "तीन" की तरफ दिलाना चाहता हूं, आखिरी जो इसका सण्टेन्स हैं, उसकी ओर। चूंकि वह मेरे पास हिंदी में नहीं हैं, अग्रेजी में हैं, इसमें यह हैं कि "Population below the poverty-line is proposed to be allocated to States as a transitory allocation."

"एज ए ट्रांजिटरी" यह ट्राजिंटरी वर्ड या अस्थाई, क्या सचिधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार ट्रांजिटरी हैं या कुछ वर्षो के लिए, दो साल के लिए या तीन साल के लिए, ऐसी कोई आपकी कल्पना हैं? कब तक का आपने सोचा हैं? इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया हैं? इसके पीछे आपकी क्या विचाधारा हैं? इसका कारण मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह क्यों हुआ? बहुत सही बात आपके सामने अजीत जोगी जी ने कही, क्या प्रो. लाकडावाला ने जो मापदंड तैयार किया हैं, उसके अनुसार आप करेंगे? अगर करेंगे तब बिलो पावरटी लाइन की संख्या बहुत अधिक होगी, जैसा कि आप जानते हैं। आपने भी 40 प्रतिशत मानी हैं। यह बर्डन कब आप राज्य सरकारों के ऊपर डालेंगे और कब आप वास्तव में वहन करेंगे? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार इस बात से प्रतिबद्व हैं कि कोपरेटिव फेडरलिज्म करेंगे और राज्य सरकार इस बात से प्रतिबद्व हैं कि कोपरेटिव फेडरलिज्म करेंगे और राज्य सरकारों को अधिक से अधिक साधन देंगे।

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इम्लायमेंट इंश्योरेंश स्कीम और जवाहर रोजगार योजना का भी जिक्र किया हैं। इसमें आप 10 किलोग्राम अनाज दे रहे हैं, जो अपर्याप्त हैं और इसके बारे में बात हो चुकी हैं। इन दोनो स्कीमो में बहुत सी कमिया हैं और यह बात समय-समय पर पार्लियामेंट के सामने आ चुकी हैं। क्या आपने यह ध्यान रखा हैं ताकि वह लीकेज न हो इस नयी स्कीम में? जो भी थोड़ा सा आप दे रहे हैं, चाहे तमाशे के लिए ही दे रहे हैं, वह वास्तव में उन लोगों को मिलना चाहिए जो कि इसके अधिकारी हैं और जिन तक हम और आप चाहते हैं कि इसका लाभ पहुंचे।

अंत में मैं आपके वक्तव्य के पैराग्राफ 7 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें आपने कहा हैं कि "...any State which wants to cover a large number of people..."
मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिसप्रिंट हैं। यह होना चाहिए —" ... any larger number of people ..." मैंने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर दिया हैं। इस

विषय में डिटेल्स गाईडलाइंस आप मेहरबानी करके अवश्य ही वितारित करा दीजिएगा।

श्री अजीत जोगी : अभी करा दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद : करवा देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I have many names for clarifications. I would like to know the sense of the House. Some parties have given three, four or five names. Can we take them as they are? Normally it is done according to the strength of the parties. .

SHRI AJIT P.K. JOGI: The Chair can use its discretion.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Sir, you can call the names party-wise ...*(Interruptions)*... Party-wise it is our turn. ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA. (West Bengal): May I give a suggestion? ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Can I take one Member from each party and then come back to the other?

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, that you can do...*(Interruptions)*... That is fair.

SHRI AJIT P.K. JOGI: You can do that. ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have no hesitation in complimenting the Government for taking this historic step. I call it a historic step because never before did any Government in this country take such a step to indirectly supplement the income of the people living below the poverty line. When you supply foodgrains at a subsidised price, at merely half the price, then this in a way would supplement the income of the people who are living below the poverty line. Never has it been done in India. This was a long-standing demand from all • sides cutting across party lines. Therefore, it is a laudable step; it is a remarkable step. It is a remarkable step becuase it gives partial food security to people who have very little purchasing power. So, I compliment the Government. My question is this. This is again for the first time in so many years that a Government accepts that there is a large section of people, may be 32 crores, who are living below the poverty line. We had been putting this question persistently from one Finance Minister to another to identify the people who are living below the poverty line. Sometimes we were told that the poverty line had improved because the purchasing power had improved and because the reforms had given their desired results. Sometimes we were told that we were exaggerating the problem of poverty. Never before did any Government come before this House to tell the country that there were so many people living below the poverty line. Whether you can really help them becuase you do not have enough resources is a different question. But, this Government has a genuine feeling for the people, at least to identify the magnitude of poverty in this country. I have the same quesiton as Mr. Ajit Jogi has. Sir, the economists in ths country have invented formulate, one after another, to downplay the porblem of poverty. There have been various theories; there have been various surveys. Their intention was only one, that is, to downplay the problem of poverty. Since the Department of Food, Government of India, .identifies the total...magnitude, of the people below the poverty line, this] should be taken as the basis. This should be taken as a basis for identifying the poor people, in determining where the poverty line lies in the country. This should be the basis. And, once and for all, this Utopian economic exercise of down-playing the problem of poverty should end. It should end once and for all. It is important because the Government is paying money to supply

subsidised ration for this category of people. In a way, the Government is undertaking a social responsibility. If the Government undertakes a social responsibility, then it must be on the basis of ocular proof. This ocular proof should be the basis in determining the poverty line of the country and other exercises should end once and for all. Therefore, I would like the Government to tell us whether the basis of determining the poverty line, as has been done by the Ministry of Food, can be taken as more authoritative basis than that of the other departments of the Government, including the Ministry of Finance. The Budget is coming. The Ministry of Finance should also be asked to make calculations on the basis of this magnitude.

My second quesiton is, supply of subsidised ration to the people...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): How many more question do you have?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I have just two or three more questions. In the supply of subsidised ration, the Government should see that the subsidised ration does not go to people who do not deserve it. It must go to people who deserve it. For this we need infrastructure and it depends on the State administration. I am equally afraid that while giving ration cards no discrimination should be made. Only poor people who, according to the standard suggested by the Ministry of Food, should be given. There should not be any discrimination in issuing ration cards. There should not be any political discrimination. There should not be any caste discrimination. And, there should not be any religious discrimination in issuing ration cards. All persons living in this country are Indians. Hence, there should not be any discrimination in issuing --mien—cards. I agree that this responsibility should be given to the State administration. But, the Central Government should monitor the distribution of cards and the Central Government should not leave this to the State Governments because the Central Government is undertaking the financial responsibility. Therefore, the Central Government must monitor. There has to be a sample survey also. Therefore, my questions, are you ready to function as a watch-dog to see that your policies are properly implemented? Your job is not to formulate the policy alone but the Government of India should also see that the policy has been implemented property. Till now the procedure is, the Central Government is responsible for formulating a policy and its implementation is left to other agencies. Let that differentiation end once and for all. It is your policy and it is your money; so it is your responsibility to see that there is no discrimination and it is done properly. For that you have to function as a watch-dog. Therefore, my question is, whether you undertake the responsibility of implementation, may not be fully but, at least , to the extent that you are able to monitor.

My next question is, this partial food security, in my opinion, shall increase, to some extent, the bargaining power of the agricultural poor and rural workers. They have to surrender to the oppressed because they do not have any income to fall back upon. If this meagre ration goes to them directly then, at least, for some time they have something to fall back upon. It is likely that the bargaining power of the poor people living hand-to-mouth, living on the mercy of the landed aristorcracy, may at least be able to augment their income.

Thirdly, the Government should ensure one thing. Under this scheme each card-holder will be given 10 kgs. of ration. In a number of places, in a number of families, the number of members is large. The poor people do not understand. Therefore, while giving the ration card, the Government should see that the normal, standard, family is taken into account. On the one hand, there is a

possibility of fake ration cards. On the other hand, since the people are illiterate and they live on others' advice, rarely, the decisions of the Government reach them. That is why I would say that joint family should be taken as the basis for the issue of these ration cards.

I would also suggest that there should be a serious campaign, a campaign for creating awareness among the people, a campaign to tell the people as to how they can take advantage of the scheme. If such a kind of an awareness campaign is not launched, on the one hand, there may be cases of discrimination and, on the other, the people may not be able to take advantage of the scheme. Therefore, Sir, would the Government agree? It is not a question of just giving ration. The Government should also take upon itself the responsibility of creating awareness among these people so that they are able to take advantage-of the scheme, this laudable scheme, that has been launched.

One*. . again, I give my best complimeats to my young colleague here. Once again, I give my best compliments te the Qovemn>«Rk.as a whole because it is for the first time that something is being sought to be done. There may be a large number of inaccuracies. There may be a large number of shortcomings. But a laudable beginning has been made. This laudable beginning of the Government should be supplemented with total support from the different political quarters in the country.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Prof. Ram Kapse.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Vice-Chairman, Sir, before you ask him and the other hon. Members to seek clarifications, I would like to know just one thing. The Minister has given the figure of 32 crores here. I would like to know as to what is the break-up of this figure in the case of each and every State. How many poor people... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Agarwalji, I agree. *(Interruptions)*

SHRI SATISH AGARWAL: The statement says: "Any State which wants to cover a large number of persons or increase the scale of issue or reduce the price..." I would just like to know as to what is the number of people living below the poverty line, State-wise. That is all.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would suggest to my hon. friend.

SHRI SATISH AGARWAL: I am not raising any query. I am endorsing your view.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Thank you, Sir. Across the Table, across the line, let us compliment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Prof. Ram Kapse, Prof. Vijay Kumar Malhotra had given his name earlier. Can you wait?

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): All right, Sir.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it should be party-wise; one from each party. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, there are three-four names. I am calling one from this side and one from that side. Otherwise, it may happen that all the names from the BJP would be together. To avoid that, I am doing like this. Prof. Vijay Kumar Malhotra, please.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर ने इसको रिमार्केबल स्टेप और हिस्टारिक स्टेप बताया।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Communist Party has become an 'yes-man'. That is the position now.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : युनाईटेड फ्रंट की गवर्नमेंट पिछले कई महीनों से इस को गरीबों के हक में

और गरीबों के समर्थन का कदम बता रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हिस्टॉरिक फ्रांड और रिमार्केबल फ्रांड किसी ने आज तक नहीं किया। जितना नुकसान इससे गरीबों को होने वाला हैं मैं समझता हूं कि उससे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? पब्लिक के सामने क्या चीज आप पेश कराने जा रहे हैं? आपने लिख दिया कि 32 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि 32 करोड़ लोगों को इससे कितना नुकसान होगा?

पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने इसमें यह नहीं बताया कि कौन लोग जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा? पॉवर्टी लाइन कितने रूपए महीने से या कितने परकैपिटा इनकम से नीचे मानी जाएगी, इसको आपने इसमें क्यों नहीं बताया? मैं समझता हूं कि इसके होने के बाद सारे पीओन्स, सारे क्लर्क इससे बाहर निकल जाएंगे और जितने दिल्ली के अंदर डेली वेजेड पर काम करने वाले लोग हैं,जो मनिमिम वेजेज वाले हैं, वे भी इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो इन सब लोगों का क्या होगा?

आपने ईशू प्राइस इन्क्रीज कर दिया, यह आप किसी की नहीं बता रहे हैं कि ईशू प्राइस को, जो बाकी के बचे हुए हैं, उनके लिए 3 रूपए 90 पैसे से बढ़कर 4.50 पैसे कर दिया। उनके लिए ईशू प्राइस बढ़ाकर उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ ला रहे हैं। क्या आपको मालूम हैं कि एक आदमी को महीने में कितना अनाज चाहिए। कम से कम कितना अनाज उसको चाहिए? गरीबी के रेखा के नीचे, जिसके पास कोई दूसरी चीज खाने के लिए नहीं हैं, जिसके पास दूध नहीं हैं, फल, नहीं हैं, कोई चीज नहीं हैं, जो सिर्फ अनाज खाता हैं, उसको कितना अनाज एक महीने में चाहिए? क्या आपने इसका अंदाजा लगाया या आपने सिर्फ इतना कह दिया कि 10 किलोग्राम घर पर फैमिली पर मंथ अनाज देंगे। एक फैमिली में अगर पांच आदमी भी मान लिए जाएं तो एक आदमी के हिस्से में एक महीने में केवल दो किलोग्राम अनाज आता हैं और एक हफ्ते में केवल आधा किलो अनाज उसके हिस्से में आता हैं। वह आप क्या मजाक कर रहे हैं, क्यो धोखा दे रहे हैं? एक आदमी को इतना अनाज देंगे तो वह क्या खाएंगे। पचास किलोग्राम कम से कम एक फैमिली की जरूरत हैं और जब कि आप केवल 10 किलोग्राम अनाज उसे देंगे। डाई रूपये ईशू प्राइस आपने लिखी हैं और जब उसको मिलेगा तो 3 रूपये 20 पैसे या कितना पहुंचेगस, यह मैं नहीं कह सकता। तो तीन रूपयें में तो वह मिलेगा और बाकी राशन में से मिलता था, वह भी महंगा हो गया। जो पहले उसको राशन मिलता था, वह महंगा हो गया और जो खुले बाजार से वह खरीदेंगे, वह और महंगा हो गया। खुले बाजार में गेहूं की कीमत तीन रूपये पर किलोग्राम बढ़ाई हैं। तीन रूपये पर किलो आपने खुले बाजार में इन्क्रीज कर दिये, जो गेहूं गवर्नमेंट देती थी और जिस दिन गवर्नमेंट ने खुले बाजार में तीन रूपए पर किलो गेहूं के दाम बढ़ाए, तब से खुले बाजार में सारे भाव बढ़कर 10 रूपये और 12 रूपये पर किलो हो गये। इस तरह से बाकी का 40 किलो गेहूं जो उसको चाहिए, उसे वह 10 रूपये पर किलो के हिसाब से खरीदे और आपने उसको एक या दो रूपये पर किलोग्राम की राहत दे दी तो इससे बड़ा भी कोई फ्रांड होगा, कोई धोखा होगा जो आप पब्लिक को दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं 32 करोड़ लोगों को इनसे फायदा होगा। मैं तब इसे ठीक समझता अगर आप जितने गरीबी के रखा के नीचे लोग हैं, उनकी पूरी रिक्वायरमेंट अगर आधी कीमत पर कर देते तो मतलब समझ में आता था। अगर आप इसे ¾ भी कर देते, तो भी लगता कि आपने कुछ न कुछ सहुलियत तो दी हैं। पर आपने क्या सहुलियत दी हैं कि 1/5 हिस्से चीज की कीमत कम करके 4/5 हिस्से मे तीन गुणा ज्यादा वृद्धि कर दी और तीन गुणा ज्यादा उससे वसूल कर लिया। इसलिए मैं कहना-चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर इस तरह का जुल्म आप क्यों कर रहे हैं कि बाकी का अनाज वह बाजार से खरीदे और बाजार की कीमत और बढ़ जाए क्योकि जब आप इसको कम करेंगे तो बाजार की कीमत और बढ़ जाएगी। आपने कहा कि आठ हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले कितनी सब्सिडी हैं? आज कितनी सब्सिडी हैं? क्या आपने बताया कि आज से कितनी सब्सिडी बढ़ेगी? यह कदम उठाने से पहले कितनी सब्सिडी थी और कदम उठाने के बाद कितनी बढ़ेगी? कोई सब्सिडी नहीं बढ़ रही हैं। केवल आधार के लिए आपने यह कहा हैं। जो गवर्नमेंट सरमेंट हैं, जो क्लास फोर इम्पालाईज हैं, डेली वेजिज वाले मजदूर हैं, जो इसमें नहीं आएंगे, तो उनकी ईशू प्राइस भी बढ़ा दी, मार्किट प्राइस भी बढ़ा दी, इससे उन सबके ऊपर बड़ा भारी अन्याय और अत्याचार हुआ हैं। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग और मजदूर इस स्कीम के बाद बहुत कठिनाई में पड़ेगे। आप इस स्कीम के बाद बहुत कठिनाई में पड़ेगे। आप इस स्कीम को रिवाइज करिए और पूरे का पूरा बैनेफिट उनको दीजिए और बाकी बचे

हुए लोगों पर ईशू प्राइस बढ़ाना, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में, बहुत बड़ा अन्याय हैं।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, of course, this statement has been made with the laudable object of providing subsistence to people living below the poverty line, but I would like to pose one question. In paragraph 3 it is stated, "To start with, it is proposed to issue 10 kg. of foodgrains per family, per month..." But the size of the family is not mentioned here. Whether ten kg. of foodgrains are sufficient for a family or not depends upon the size of the family. Ten kg. of foodgrains per month are not sufficient even for a single person. That being the case, if you provide only ten kg. per family per month, will it really give any relief to them or will it really save them from starvation? That question has to be taken into consideration.

Sir, in several States, take for example Tamil Nadu, already family cards are being issued. There are two separate types of cards have to be issued. One is specially meant for those who are living below the poverty line and the other is for the persons who are above the poverty line. There are several States which are already following certain methods of public distribution system for the supply of essential commodities to the people. I would like to know whether this scheme of the Central Government will be in confrontation with or in coordination with the State Governments. Would there be any monitoring agency to ensure that these supplies reach the targeted people? Such a measure has not been explained in the statement.

Though the public distribution system is a laudable measure, the experience shows that distribution is not properly done. The result is that the commodities do not reach the common man properly. There are several agencies in between the Government and the common man, who is at the receiving end. These agencies pilfer the supplies. Sometimes damaged goods are substituted. Good varieties of foodgrains are taken out and substituted by the damaged goods. These are the things which are to be taken into consideration.

Besides, several mal-practices are going on. Fake family cards are printed and collected by the merchants who sell the foodgrains in the blackmarket. You have to ensure that the public distribution system works properly and that there is no pilferage in between and the common man gets the supplies meant for him, otherwise this laudable objective will get defeated.

Another point is that you want to give the supplies to the people at a particular price. In Tamil Nadu, for example, rice is being sold at Rs. 21/- per kilogram. In other States also it is being sold at such a price which is beyond the purchasing power of the common man. In such a situation I would like to know how this Government is going to supply the foodgrains to the people within their purchasing capacity. If the foodgrains are to be sold at Rs. 2/- to Rs. 3/- per kilogram, common man can afford to purchase what is the guarantee that the government supplies will reach the common man at those prices? All these things will have to be taken into account to see that the public distribution system run by the Central and the State Governments works successfully.

SHRI JOY NADUKKARA (Kerala): Sir, I congratulate the Government for taking this laudable decision, but the question is how this benefit would reach the people who are living below the poverty line. It is an admitted fact thpt our present public distribution system has not reached all the areas of the country. So, my question is how this benefit would reach crores of people living in the villages. It is reported that in three or four major cities of our country only five per cent of the people have access to this public distribution system. In some States it comes to around 10 per cent and 11 per cent, respectively. So most of the people

would not have any access to the public distribution system. So, I would like to know from the Minister what steps the Government intend to take to strengthen the public distribution system.

There is a mention in the statement about issuing of special cards. In this case there would be a scope for corruption. So, the photo of the card-holder should be affixed. It may be expensive. But considering the magnitude of corruption, it is absolutely necessary to affix a photo of the card holder. Then, I would like to know what is the income demarcated to identify people who are living below the poverty line. Would it vary from state to State or would it be the same in every State?

Lastly, considering the hike in the prices of essential commodities, I would like to know from the Minister whether he would consider raising the income level of poverty line from Rs. 1,500 per month to Rs. 1,800 per month. Thank you.

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, अभी मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी हैं इस स्टेटमेंट से वह स्पष्ट हो जाता हैं कि सरकार ने मान लिया हैं, यह सरकार अल्पजीवी सरकार हैं,अल्प-आयु सरकार हैं और यह सरकार भी मानकर चल रही हैं कि संसद का मयावधि चुनाव सन् 1997 में ही होगी। अब मैं .....(**व्यवधान**)...

SHRI R. MARGABANDU: Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): What is your point of order?

SHRI R. MARGABANDU: I would like to know from you whether a Member of this House can sleep while a debate is going on in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Member can close his eyes and then sleep—what is wrong?

SHRI V. NARAYANASAMY: How does Mr. Margabandu know that a Member is sleeping in this House? We can't know about that until and unless he himself has got this experience.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I do not know. Mr. Margabandu might have seen some Member while sleeping. But the ruling of the House is that there is nothing wrong if a Member closes his eyes and thinks.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The Prime Minister has set an example for the country when he is supposed to be dozing or sleeping, then, he is really thinking about the country's problems and its future.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): This is what I am saying because there is a very thin line. If it is a very thin line, then, you do not know whether a Member is sleeping or thinking. It is difficult for the Chair to know about it from here.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Nobody should close his eyes. ... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The ruling is that Members can't sleep, but they can close their eyes and think. On this, the Chair can't give a ruling.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He should not snore eitner.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes. That is there.

श्री राजनाथ सिंह : सर, देश की अर्थव्यवस्था दिनोंदिन बर्बाद होती जा रही हैं केवल इसी कारण से कि विगत पचास वर्षो में जिन पार्टियों की सरकारें बनी हैं सचमुच इन सरकारों ने इस देश को ध्यान में रखकर अपनी आर्थिक योजनाएं नहीं बनाई हैं बल्कि सरकार बनानी हैं और चलानी हैं इस बात को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाई हैं। अभी जो स्टेटमेंट आया हैं इस स्टेटमेंट के फर्स्ट पैरा के फर्स्ट सेन्टेस की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

> "A well targeted and properly functioning public distribution system is an important constituent of the strategy for poverty eradication."

श्रीमन् इस स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि जैसे किसी भिखारी को हम भिक्षा देने के बाद यह कहें कि दस भिखारी की गरीबी को काफी हद तक दूर कर दिया हैं। क्या यह एक इम्पोर्टेन्ट कांस्टीट्यूंट हो सकता हैं पावर्टी एराडिकेशन का? यह मैं मान लेता हूं कि किसी गरीब के ऊपर आप कोई दया कर रहे हैं, कोई रहम कर रहे हैं।

यह जो आप थोड़ी बहुत सहायता कर रहे हैं,इ समें भी आप सारे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप इश्यू प्राइस बढ़ा रहे हैं, ओपन मार्केट में प्राइस बढ़ा रहे हैं और इस स्कीम के माध्यम से आप 10 किलोग्राम दे रहे हैं। लेकिन 10 किलोग्राम में कोई अपने परिवार की परवारिश नहीं कर सकता हैं। अन्ततोगल्वा, उसको ओपन मार्केट में अपने पूरे परिवार का पेट भरने के लिए जाना ही होगा। एक सच्चाई जरूर मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार की हैं। उन्होने कहा कि इस देश में 32 करोड़ पापुलेशन ऐसी हैं जो कि पावर्टी लाइन से नीचे जीवन निर्वाह कर रही हैं। यहा पर हमारे कांग्रेस के सम्मानित सदस्य बैठे हैं। जब इनकी सरकार थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 1995 मे कहा था कि 1991 से आज तक जब से आर्थिक सुधारों का सिलासिला इस देश में शुरू हुआ हैं उसके बाद देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वालों की संख्या घटी हैं और वह घटकर 19 फीसदी 19 परसेंट हो गई हैं। मंत्री जी ने कम से कम इस सच्चाई की तो स्वीकार कर लिया हैं कि 19 परसेंट पापुलेशन नहीं बल्कि 35 परसेंट पापुलेशन जो हैं वह पावर्टी लाइन के नीचे जीवन निर्वाह करने के लिए मजदूर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले गरीबों का निर्धारण करने में उनके आइडेंटीफिकेशन करने में आपने कौन से मानदंड अपनाए हैं? आशा हैं मंत्री जी इसकी जानकारी हमें देंगे।

मैं मंत्री जी से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा। हमेशा सरकार बनाने और सरकार चलाने की बात को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा क्यों कदम उठाए जाते हैं? क्यों नहीं आज की सरकार, जो कि बहुत सारे लम्बे-चौडे वायदे करने वाली सरकार हैं वह क्यों नहीं एक कम्प्रीहेसिव एकानामिक पालिसी पर विचार करती हैं ताकि हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकें। लोक-लुभावन नारों के आधार पर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उस आधार पर इस देश की अर्थव्यवथा की आप सुदृढ़ आधार कदापि नहीं दे सकते है। मंत्री जी ने यह भी कहा हैं पी.डी.एस. सिस्टम की बहुत आलोचना होती हैं इसलिए हम एक नया तोहफा इस देश के गरीबों के लिए लेकर सामने आए हैं। उन्होने यह भी कहा कि पी.डी.एस. की आलोचना करने का अवसर किसी को नहीं मिलेगा और यह अवसर किसी को नहीं मिलेगा और यह अवसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योकि उन्होने मोनेटरिंग सिस्टम और ज्यादा एफेक्टिव बना लिया हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानेटेरिंग सिस्टम को एफेक्टिव बनाने में आपने कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं, कौन से सुधार आपने मानेटेंरिंग सिस्टम में किए हैं ताकि आपका पी.डी.एस. सिस्टम एफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से काम कर सकें?

दूसरी चीज जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह यह हैं कि टू-टियर प्राइस सिस्टम, दोहरी मूल व्यवस्था होने के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हैं,इसको हर व्यक्ति मानता हैं। गावं का एक आदमी सा,सामान्य व्यक्ति भी स्वीकार करता हैं और एक अर्थ-शास्त्री भी इस बात को स्वीकार करता हैं। लेकिन थ्री-टियर प्राइस सिस्टम हो जाने से, तिहरी मूल्य व्यवस्था हो जाने से क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? भ्रष्टाचार यहां अब तक जितना था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थ्री-टिबर सिस्टम के लागू होने के बाद यह दुगुना या तिगुना हो जाएगा। इसलिए यह भ्रष्टाचार न बढ़े, इसको रोकने के लिए मंत्री जी से, कौन से प्रभावी कदम उठाए है, मैं इस बात की जानकारी चाहूगा। धन्यवाद।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) **:** आप अपनी ओर से दो चार सुझाव तो दे दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : जब इस पर चर्चा होगी तो सुझाव भी दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया कि एक कम्प्रीहेंसिब एकानामिक पालिसी पर विचार होना चाहिए।

श्री नरेश यादव (बिहार) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार बनाने और चलाने की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के 32 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों के लिए माननीय मंत्री जी ने जो आज उद्घोषणा की हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री राजनाथ सिंह : सबसे कम गरीब बिहार में हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री नरेश यादव : मैं जोगी जी का सहयोग करना चाहता हूं। उन्होने जो चार सुझाव दिए हैं उसमें एक सुझाव देना छोड़ दिया तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। पैरा 4 में हैं कि ...

श्री अजीत जोगी : यह आपके लिए छोड़ा हैं।

श्री नरेश यादव : मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं आपका काम पूरा कर रहा हूं। पैरा में हैं कि:

> "सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी"।

हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसमें यदि वे जवाहर रोजगार योजना को भी जोड़ दें तो शहरों में जो गरीब मजदूर है, उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा, नम्बर चार मेरा सुझाव यह हैं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं। उन्होने कहा हैं कि विशेष राशन कार्ड जारी कर के सुपुर्दगी प्रणाली को बेहतर मोनिटरिंग करके आप चलाएगे। निश्चित तौर से इतनी जल्दी में राशन कार्ड नही बनाए जा सकते हैं। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं उनको आप कैसे लाभ पहुंचायेंगे, कितना सभव आपको देना पड़ेगा, राशन मुहैया करना पड़ेगा जबकि हिंदुस्तान में बिना फोटो कार्ड के वोट दिलवाया जा सकता हैं तो ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी जब तक कि राज्य सरकारें राशन कार्ड नहीं बनाती हैं तब तक कौन सी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालो को इसका लाभ मिल सकें?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, उस पार रहते हैं जिसको दियारा कहते हैं। ऐसे लाखों की संख्या में गरीब लोग हैं जिनको राशन कार्ड मालूम नहीं हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा की जानकारी नहीं हैं। ऐसे लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, जो दियारा क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी, आपने क्या व्यवस्था की हैं? यह मैं जानना चाहता हूं। कई साथियों ने इस की मोनिटरिंग पर सवाल उठाया हैं कि कैसे इसका सफल संचालन होगा। इसके बारे में कोई न कोई सही निर्देश होना चाहिए। आपने हिंदुस्तान के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह कदम उठाया हैं क्योकि आपने गरीबी को झेला हैं, आपके दिल में गरीबों के प्रति दर्द हैं, मैं फिर से आपको धन्यवाद देते हुए उपसभाध्यक्ष महोदय आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री ललालुद्दीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो इस स्कीम की घोषणा की गई हैं, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे यह कहना हैं कि माननीय मंत्री जी ने एलान किया था कि 26 जनवरी, 1997 से नया पी.डी.एस. पूरे देश मे लागू हो जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी हैं यहां पर एलान तो कर देते हैं लेकिन उसको जो तैयारी होनी चाहिये वह आप नहीं करते हैं। इस सिलसिले में 15000 रूपये से नीचे जिनकी आय हैं, उनको गरीबी की रेखा के नीचे माना जाएगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस दिशा में इनका कार्ड अभी तक नहीं बनाया गया, अभी तक सूची नहीं बनाई गई है। मैं बिहार को जानता हूं और बिहार राज्य का हूं प्रखंडो में, ब्लाक्स में कुछ सूचियां हैं लेकिन वह अधूरी हैं, पूर्ण नहीं हैं। जहां तक कार्ड बनाने का सवाल हैं,अभी तक कार्ड नहीं बने हैं और राज्यों को इस स्कीम के लिए गेहूं की आपूर्ति भी नहीं की गई हैं। बिहार की जानकारी मुझे हैं। मैंने बिहार के खाघ आपूर्ति मंत्री से भी बात की हैं। उन्होने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई गेहूं आया नहीं हैं और जो सूची पुरानी हैं, वह सही नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह होगा कि क्या राज्य सरकारों को आपने निर्देश दिया हैं, यदि दिया हैं तो कब दिया हैं? और यह सूची कब तक बन जाएगी इसकी कोई समय सीमा तय होनी चाहिए ताकि इनकी सूची बन जाए, कार्ड बन जाएं और आप गेहूं और चावल आपूर्ति उनको कीजिए, तभी इन गरीबों को आप प्रतिमाह दस किलोग्राम गेंहू या चावल सस्ते दर पर, आधी कीमत पर, आपका जो प्रस्ताव हैं, उसका लाभ उनको मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि यह लाभ उन गरीबों को मिले। हमारे साथियों ने आलोचना की हैं। बहुत सारे राज्यों में तो पी.डी.एस. नाम की कोई चीज ही नहीं हैं। कुछ केरल और बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पर यह जारी हैं। लेकिन कुछ राज्यों में तो गेहूं, चावल जाते हैं वह सरकारी दूकानो के माध्यम से लोगों को मिल भी नहीं पाते हैं। यह बिल्कुल सच्चाई हैं और इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे साथियों ने मॉनिटरिंग करेगी तो राज्य सरकार और आका क्या कोआर्डीनेशन होगा, यह मालूम नहीं हैं। अगर वह मानिटरिंग सही तरीके से नहीं होगा तो जो गेहूं और चावल आप देंगे वह बाजार में बिक जायेंगे, ब्लैक मार्केटिंग में चले जायेंगे और किन गरीबो को हम राहत दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। यह एक जबर्दस्त सवाल हैं जिसको कि गंभीरता से, संजीदगी से सरकार को विचार करके इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को यह स्कीम लागू करने का आपने एलान किया था, इस सिलसिले में कितनी राज्य सरकारों ने आपको सूचना दी

है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही की हैं और कितने राज्यों को आपने गेहूं और चावल की आपूर्ति की हैं? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या किसी राज्य सरकार ने इस स्कीम को लागू करने में अपनी असमर्थता भी जाहिर की हैं? अगर की हैं तो यह भी सदन के सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस स्कीम को लागू किया जाए, लेकिन इसकी पूरी तैयारी करके, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बुरी हालत में हैं, सही मायनों में उनको इसका लाभ मिल सके। इसके लिए आप सिर्फ एलान नहीं किजिए, बल्कि इसके लिए ठोस तैयारी करके राज्य सरकारों के माध्यम से आप गेहूं मुहैया करके और सही मायनों में कब तक इसको लागू करना चाहते हैं इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम आपका होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे और पूरा हाउस जानना चाहेगा कि वह टाइम बाउंड प्रोग्राम आपका क्या हैं और कब से इसको फुल-फ्लैज रूप में लागू करना चाहते हैं? इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

†**شری جلال الدین انصاری "بہار"**: اپ سبھا ادھیکش مہودے، میں مانیہ منتری جی کے دوارہ، جو اس اسکیم کی گھوشنا کی گئی ہے، اسکا سواگت کرتا ہوں۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے کی مانیہ منتری جی نے اعلان کیا تھا کی ۲٦ جنوری ۱۹۹۷ سے نیا پی۔ڈی۔ایس۔ پورے دیش میں لوگوں ہو جائیے کا۔ جہاں تک میری جانکاری ہے یہاں پر اعلان تو کر دیتے ہیں لیکن اسکو جو تیاری ہونی چاہیئے وہ آپ نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلئے میں ۱۵۰۰۰ روپئے سے نیچے جنکی آمدنی ہے، انکو غریبی کی ریکھا کے نیچے مانا جائے کا۔ میں منتری سے کہنا چاہتا ہوں کی اس دیشا میں انکا کارڈ ابھی تک نہیں بنایا گیا، ابھی تک سوچی نہیں بنائی گئی ہے۔ میں بہار کو جانتا ہوں۔ پرخنڈو میں، بلاکس میں کچھ سوچیا ہیں لیکن وہ ادھوری ہیں، پورن نہیں ہیں۔ جہاں تک کارڈ بنانے کا سوال ہے، ابھی تک کارڈ نہیں بنے ہیں اور راجیوں کو اس اسکیم کیلئے گیہو کی آپورتی بھی نہیں کی گئی ہے۔ بہار کی جانکاری مجھے ہے۔ میں نے بہار کے کھاد آپورتی منتری سے بھی بات کی ہے۔ انہونے کہا کی اس سمبندھ میں ابھی تک کوئی گیہو آیا نہیں ہے اور جو سوچیاں پورانی ہیں، وہ سہی نہیں ہے۔ اس لئے میرا پرشن منتری جی سے یہ ہوگا کی کیا راجیہ سرکاروں کو آپنے نردیش دیا ہے، یدی دیا ہے تو کب دیا ہے۔ اور یہ سوچی کب تک بن جائیگی اسکا کوئی سمے-سیما طے ہونی چاہیئے تاکی انکی سوچی بن جائے۔ کارڈ بن جایئں اور آپ گیہو اور چاول کی آپورتی انکو کیجئے۔تبھی ان غریبوں کو آپ پرتی ماہ دس کلوگرام گیہوں یا چاول سستے در پر۔ آدھی قیمت پر۔ آپکا جو پرستاؤ ہے۔ اسکا لابھ انکو مل پایئگا۔

میں

† Transliteration in Arabic Script

چاہتا ہو کی یہ لابھ ان غریبوں کو ملے۔ ہمارے ساتھیوں نے آلوچنا کی ہے۔ بہت سارے راجیوں میں تو پی۔ڈی۔ایس۔ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کچھ کیرل اور بنگال جیسے راجیہ ہیں جہاں پر یہ ضروری ہے۔ لیکن کچھ راجیوں میں گیہوں ، چاول جاتے ہے وہ سرکاری دوکانو کے مادھیم سے لوگوں کو مل بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ بلکال سچائی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے ہمارے ساتھیوں نے مانیٹرنگ کا سوال اٹھایا۔ راجیہ سرکار اسکی مانیٹرنگ کریگی تو راجیہ سرکار اور آپکا کیا کوآرڈینیشن ہوگا، یہ مالوم نہیں ہے۔ اگر وہ مانیٹرنگ صحیح طریقہ سے نہیں ہوگا تو جو گیہوں اور چاول آپ دینگے وہ باجار میں بک جائینگے، بلایک مارکیٹنگ میں چلے جائینگے اور جن غریبوں کو ہم راحت دلانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، انکو یہ لابھ نہیں مل پائیگا۔ یہ ایک زبردست سوال ہے جسکو کی گمبھیرتا سے، سنجیدگی سے سرکار کو وچار کرکے ان سمسیاؤں کا ہل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیئے۔اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کی ٢٦ جنوری کو یہ اسکیم لوگوں کرنے کا آپنے اعلان کیا تھا، اس سلسلہ میں کتنی راجیہ سرکاروں نے آپکو سوچنا دی ہیں کی اس سمبندھ میں کوئی کاروائی کی ہے اور کتنے راجیوں کو آپنے گیہوں اور چاول کی آپورتی کی ہے؟ اسکے ساتھ۔ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کی کیا کسی راجیہ سرکار نے اس اسکیم کو لاگوں کرنے میں اپنی اسمرتھتا بھی ظاہر کی ہے؟ اگر کی ہے تو یہ بھی سدن کے سامنے آنا چاہیئے۔ ہم چاہتے ہیں کی اس اسکیم کو لاگوں کیا جائے، لیکن اسکی پوری تیاری کرکے، جو غریبی کی ریکھا سے نیچے جیون ویتیت کر رہے ہیں اور بوری حالت میں ہیں، سبھی ماعنوں میں انکو اسکا لابھ مل سکے۔ اسلئے صرف اعلان نہیں کیجیئے بلکہ اسکے لئے ٹھوس تیاری کرکے راجیہ سرکاروں کے مادھیم سے آپ گیہوں مہیا کرکے اور سبھی ماعنوں میں کب تک اسکو لاگوں کرنا چاہتے ہیں اسکے لئے ایک ٹائم باؤنڈ پروگرام آپکا ہونا چاہیئے۔ ہم آپسے جاننا چاہیں گے اور پورا ہاؤس جاننا چاہیئگا کہ وہ ٹائم باؤنڈ پروگرام آپکا کیا ہے اور کب سے اسکو فل۔فلایر روپ میں لاگوں کرنا چاہتے ہیں؟ انھیں شبدوں کے ساتھ ، میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں ۔

"ختم شد"

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) :उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकारण लेना चाहता हूं।

भाषण की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं लगती। इनकी जो योजना हैं इस पुस्तक के अनुसार वह सर्शत योजना हैं और यह केवल उन्ही राज्यों के लिए हैं जो यह सुनिश्चित कर सके कि आवंटित खाघान्न उचित दर पर दुकानों तक वास्तव में पहुंचाया जा सकेगा और भी कई शर्ते लगाई गई हैं और इसके पहले प्रधान मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की बहुत समस्याएं हैं। उनमें बड़ी कमलजोरियां हैं। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि कौन-कौन से ऐसे राज्य है जहां गड़बड़िया होती हैं। क्योकि अगर इस पुस्तिका को सही माना जाए जिन राज्यों में गड़बड़ियां हैं वहां पर इस योजना के तहत खाघान्न उसे दिया जाएगा । ऐसा इसमें लिखा हुआ है । मैं पढ़ कर सुना दूं । राज्य सरकारों को गरीबों के लिए खाद्यान्न या राज्य सहयता का प्रावधान हरेक राज्य द्वारा ऐसी संतोषजनक व्यवस्था करने की शर्त के अधीन होगा । यानी जो इस शर्त का पालन नहीं करेगा उन राज्यों को यह सहायता आप नहीं देंगे । इसको आप स्पष्ट करें कि वास्तविक स्थिति क्या हैं ? यानी भविष्य में किसी राज्य सरकार द्वारा कोई गड़बड़ी की जाएगी तो क्या आप अपनी योजना उसे बीच में बंद कर देंगे या वहां खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर दी जायेगी । ये सारी बातें स्पष्टः सदन को बताई जानी चाहिए ।

मंत्री जी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है ? विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार हमारे देश की औसत आमदनी 310 डॉलर हैं यानी लगभग साढ़े 9 हजार रूपए प्रति वर्ष । अब इसे परिवार के आधार पर जोड़ा जाएगा या प्रति व्यक्ति की आमदनी के आधार पर, यह आप तय करेंगे । मान लीजिए किसी परिवार की वार्षिक आमदनी 45 हजार या 50 हजार रूपए साल की है तो उसे आप गरीबी रेखा से नाचे मानेंगे या ऊपर मानेंगे? यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। इस में गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की पहचान करने के लिए कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं बताई गई हैं। यह अवश्य कहा गया हैं कि लाकडावाला समिति ने एक नीति बताई हैं, उस के आधार पर आप ने तय कर लिया हैं। इस तरह से लुकने-छिपने से काम चलने वाला नहीं हैं। ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि अगर किसी पात्र परिवार को यह विशेष राशन कार्ड नहीं मिलता तो वह अदालत में जाकर वह राशन कार्ड प्राप्त कर सकें क्योकि आप ने स्वयं अपनी योजना में यह माना हैं कि जो विशेष राशन कार्ड है, वह करेंसी नोट की तरह हैं। यह आप की योजना में लिखा हैं। अगर आप के राशन कार्ड नोट की तरह महत्वपूर्ण हैं तो फिर देश के नागरिकों को जो इस के लिए पात्र हैं,उन्हें वह अवश्य मिलने चाहिए और अगर नहीं मिलता हैं तो जिस की वजह से नहीं मिलता हैं,उसे दंडित करने का भी प्रावधान होना चाहिए। मगर आप ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया हैं। मैं चेयरमैंन साहब, आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कोई प्रावधान करेंगे जिससे कि जो पात्र परिवार हैं, उन्हे यदि राशर्न-कार्ड नहीं मिले तो वह कानूनी रूप से उसे प्राप्त कर ले और किसी राजनीतिक दल की दया और कृपा या किसी नेता की दया और कृपा पर उनकी पात्रता निर्धारित न हो।

वैसे अगर मंत्री जी होते तो अच्छा होता।

प्रो. राम कापसे : मान्यवर, हम क्लैरिफिकेशंस पूछ रहे हैं तो मंत्री जी का यहां होना जरूरी हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U, VENKATESWARLU): I am takihg down notes.

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : वह आ गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): You canot be too strict with the Minister. You have to allow him some time to retire.

श्री नरेन्द्र मोहन : मंत्री जी, मैंने आप की अनुपस्थिति में एक बात पूछी कि यह विशेष राशन कार्ड जो कि करेंसी नोट की तरह हैं, तो जो पात्र परिवार हैं, वह इस से वंचित न होने पाएं। वे कानूनी रूप से इसे अवश्य प्राप्त कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान आपने किया हैं या नहीं किया हैं? अगर नहीं किया है तो क्या आप ऐसा कोई प्रावधान करने जा रहे है?

आप ने आपने स्टेटमेंट में लिखा हैं कि हमारे देश में लगभग 20 प्रतिशत राशन कार्ड फेक जारी कर दिए जाते हैं। इस का मतलब हैं कि लगभग 6 करोड़ ऐसे लोगों को आप राशन कार्ड दे देंगे जोकि इस के पात्र नहीं हैं। इसे रोकने के लिए क्या आवश्यक व्यवस्था आप ने की हैं? क्या मंत्री जी, आप कोई ऐसी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं कि यह जो 20 प्रतिशत का आप ने आंकडा दिया हैं, इस आंकड़े के तहत अगर कोई आ जाये तो उसे दण्ड दिया जा सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान आप ने बताया हैं?

मंत्री जी, मैं आप से यह भी जानना चाहता हूं कि आप ने जवाहर योजना या स्व-रोजगार योजना के तहत गरीब लोगों को शामिल करने की बात सोची हैं और गावं के लोगों को एक किलोग्राम गेहूं या चावल देने की बात कहीं हैं, अब गेहूं का मूल्य हैं ढाई रूपये और चावल का मूल्य हैं साढ़े 4 रूपए तो यह भेद क्यों रखा गया हैं? जब आप का राशन कार्ड एक करेंसी नोट की तरह है, जैसा कि आप ने लिखा हैं तो गेहूं खाने वाले को भी आप साढ़े 4 रूपए तक का अनाज दे दें। अगर आप ने साढ़े 4 रूपए की सीमा निर्धारित कर दी हैं तो यह साढ़े 4 रूपए का अनाज हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, फिर चाहे वह जवाहर रोजगार में आता हैं या आप की स्वरोजगार योजना में आता हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कारण जानना चाहता हूं जिनकी वजह से आपने ऐसा नहीं किया।

महोदय आप चाहते हैं कि निगरानी होनी चाहिए। यह निगरानी कौन करेगा? आपने बताया कि पंचायती और नगरपालिकाओं को उचित दर दुकानों के कार्य के पर्यवेक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव हैं। अब इस प्रस्ताव को कानूनी जामा कौन पहनाने जा रहीं हैं या राज्य सरकारें पहनांएगी? यह स्पष्ट होना चाहिए। केवल यह कह देने कि अमुक प्रस्ताव सही नहीं हैं, मैं समझता हूं कि केवल प्रस्तावों के सहारे इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को चलाना उचित नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय, आप इस बारे में कुछ निश्चित व्यवस्था बनायेंगे?

महोदय, ऐसे ही पात्र परिवारों के बारे में आपने कई बार कहा हैं, कई स्थानों पर कहा हैं कि पंचवर्षीय सर्वेक्षण से सबद्व आधार हो सकता हैं। आप लिखते हैं कि ग्राम-सभाओं को इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। आपकी योजना कोई निश्चित है या केवल आप एक धारणा मात्र विचार के लिए देश को दे रहे हैं? यह क्या स्थिति हैं? आपने कुछ भी नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि जहां तक शहरी आबादी का संबंध हैं,गंदी बस्ती में रहने वाले जो भी लोग हैं सभी को गरीबी की रेखा के नीचे मान लिया जाए। यह कौन सी परिभाषा हैं? गंदी बस्ती में, दिल्ली की गंदी बस्तियों में तो टेलीविजन लगे हुए हैं, लोग स्कूटर रखते हैं, क्या उनको भी आप गरीबी की रेखा के नीचे मान लेंगे? आखिरी गरीबी की आपकी अवधारणा क्या हैं? यह जो आपने लिखा हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे उन लोगों को लिया जाए, तो गंदी बस्तियों में रहते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कृपया करके इसे स्पष्ट कर दें। वे मानदण्ड स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए, जिनके आधार पर आप पात्रता निर्धारित करने जा रहे हैं। अगर मानदण्ड स्पष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से इस योजना का दुरूपयोग होने वाला हें। मंत्री महोदय, आप इस बात को मान लें।

महोदय, आप कहते हैं कि 32 करोड़ लोगों को आपने इस योजना में कवर किया हैं। बात बहुत अच्छी है, लेकिन माननीय मंत्री जी, आप देखें आज उत्तर प्रदेश मे लगभग एक करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिन्हे राशन कार्ड दिया जाना हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन एक करोड़ परिवारो को राशन कार्ड कितने दिनों में मिल जाएगा या कितने महीनों में मिल जाएगा? आप यह भी कह रहे हैं कि अच्छा यह होगा कि हर राशन कार्ड के ऊपर परिवार के मुखिया का चित्र चिपका हुआ हो। अभी हमारे शेषण साहब ने बड़ी चेष्टा की थी कि एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाए, लेकिन वह आईडेंटिटी कार्ड नहीं बनवा सके। क्या आप इन 32 करोड़ लोगो के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जा रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश में एक करोड़ लोगों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाने जा रहे हैं? अगर बनवाने जा रहे हैं तो इस कार्य को कब तक आप पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार, बिहार में जो लगभग 70 लाख परिवार हैं उनकी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगर आप पूछेंगे तो बहुत सी राज्य सरकारें इस प्रकार के राशन कार्डो की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगी, जिनके ऊपर कि मुखिया का चित्र चिपका हुआ हो, जैसा कि आपकी योजना के अनुसार होना चाहिए। मंत्री जी कृपा करके आप स्पष्ट करें कि आपकी योजना क्या हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Kindly conclude. You have already taken more than 10 minutes.

श्री नरेन्द्र मोहन : एक मिनट और लेकर खत्म करूंगा।

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) **:** आपकी क्लेरिफिकेशन इतनी हो गई, लेकिन एक चीज भी आपकी पसंद नहीं आई।

श्री नरेन्द्र मोहन : मैं योजना को सिद्धांततः स्वीकार करता हूं ....(**व्यवधान**)...

SHRI NARENDRA MOHAN: I am only putting questions. I will conclude in one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Kindly conclude.

श्री नरेन्द्र मोहन : महोदय, एक मिनट लेकर खतम करूंगा, अगर आप अनुमति दें। मंत्री महोदय, आपने कहा कि सतर्कता समिति बननी चाहिए देश भर में लेकिन देश भर में अभी तक जिस किसी राज्य में समर्कता समिति जहां बनाई गई हैं वहां फेल हो गई है। तो उन्हे ठीक करने के लिए आपके पास क्या कोई योजना हैं? अगर हैं तो कृपा करके बता दें।

इन्ही शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

SHRI tllLOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the very outset we would like to congratulate the Government on may counts for initiating this scheme. Many of us from this side and that side were fighting for a proper definition of using the methodology of Lakdawala Committee as has been accepted by the Government. I also would like to congratulate the Government on a second count. We have discussed the question of poverty, poverty line and the strategy towards poverty eradication. However, the question of emphasising food security has been number one among these problems. Some of the friends have been raising this point. How has this point constituted an element of poverty eradication? I think he has missed many of the points that have been discussed and debated many times in this House. Many senior Members from that side of the floor have themselves made this point about inter-connections between food security and poverty eradication. Mr. Vice-chairman, Sir, I am afraid that in many of the questions that have been raised, there is a tinge of suspicion. Many of the people would have liked if- this programme had been taken up by some other Governments earlier. But unfortunately, that was not to be and it has been the responsibility of this Government to implement these schemes and therefore, we congratulate this Government. Very legitimate questions have been raised regarding the implementation of the scheme because it is a very complex scheme and there is a lot of complexity. Jogiji has raised very pertinent questions, it is a very gigantic task and it is very difficult to really emphasize on this, in how many days, in how many months this can be properly implemented with the cooperation of the State Governments. That is my first question. I think we have to understand that the quality of delivery of this scheme will depend on the effectiveness of the State Government and it is so because in many States there is virtually nothing like PDS. Mr. Fernandes referred to West Bengal. I think we need not defend our record on this question. It is quite evident. But the point is that we are understanding that it is on the level of efficiency of the State Government that the quality of the delivery system of this scheme will depend. Is it not? My second question is, if it is so, if there is any lag on the part of the State Government, then, what will the Central Government do to enable the people living below the poverty line in those States when the State Governments are not effective enough, to take advantage of this scheme and to reafly see to it that the benefits are really reaching the poorer sections of the people below the poverty line in those particular States? Has this aspect been discussed? Now, there were some comments, some people have been commenting that this is a big fraud and there have also been calculations that for 450 how much could be given in those States and whether they will be drawing and all that stuff. So some people are more efficient in weighing things, we know it. But I also suspect that there is a tinge of unhappiness because some sections, precisely the traders, will be most hurt by this scheme, the poorer sections of the people, who are not having empowerment to really exist at a substantive level so far as food is concerned, have to go to this trading community in a distressed condition and pay through their nose for that kind of thing.

I don't know whether this frustration of the trading community is getting reflected in the deliberations of this House. A reference has been made to another vital point regarding identification of the beneficiaries at the grassroot level. After the enactment of the 73rd and 74th Amendment Acts, we have come to the conclusion, cutting across the party-lines, that implementation of any development scheme will depend largely on the effective functioning of the local bodies. In the guidelines that you issue to the State Governments, it is stated in general terms that the Gram Panchayats should be associated. What really is the space created for the Gram Panchayats and Nagar Panchayats for implementation of the scheme needs a little more elaboration. I would request the hon. Minister to elaborate this point further.

Another question which I would like to ask is about the proposal to pay wages partly in monetary terms and partly by way of foodgrains. We are equally aware, just as some of the Members here, of the weaknesses in the implementation of the JRY and EAS. But we have the common experience that in 1977 the then Government implemented a unique programme, the Food for Work Programme. It went a long way in supplementing the food security of the poorer sections of the people in this country. We have to draw from that experience. The Minister has made a passing reference to it in his statement. It would be better if he could elaborate how he intends to do it. What form is it going to take? What will be the wage component and the food component? Are the wages completely paid in foodgrains? It will be good if the hon. Minister clarifies this point a little elaborately.

There is a question on issue price increases. We have always been saying that food is one item which should be spared from price increases. But we appreciate the tremendous financial burden under which the Government is functioning. Notwithstanding the financial burden, the Government has come up with this scheme. The fact that this Government has taken such a step will send a message to the people and it will empower the people in terms of food security. This action of the Government deserves our congratulations. This is not an act of benovolence, as some hon. Members described it. It will definitely have a positive impact on the economic development of the poor people. The poorer sections of the people need certain subsidies, particularly in a country like ours where around 40% of the people are living below the poverty line. So, we cannot get rid of the subsidies. But these subsidies should be better targeted. This is the essence of this programme. Therefore, we whole heartedly support this programme. I think we should spare this programme from pollticisation. We know there are a lot of problems and complexities. The food proposed to be supplied under this programme will not be sufficient and it is not going to solve the problems being faced by the poorer sections of people in this country. But this is a good beginning. I feel all political parties should come together and ensure that this programme is implemented in the best possible way. I think that will be a good beginning in this direction.

With these words, I thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondieherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to seek certain, clarifications from the hon. Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. Though I feel that he will not be able to reply to our points, we are under obligation to put questions to him. Sir, with much fanfare, as per the Common Minimum Programme to which all of them agreed, all the leaders of the United Front were called to the meeting of the so-called Steering Committee to discuss this Targetted Public Distribution

System. Now, this document has come. ' Sir, I welcome the decision that has been taken by the Government in segregating people into those living below the poverty line, low income group and middle income group. It is not a noble idea. It was already there. It was discussed several times in this House by the hon. Members during the Congress regime. Several suggestions were given for giving more benefits to the people living below the poverty line. Now, it has come to shape.

Sir, it raises several issues. Sir, I suspect the intention of this Government in implementing this scheme. The reasons is that the Finance Minister says that there is a financial crunch and the Railway Minister says that he has no funds. The hon. Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution has to tell us straightway where from the Government will be able to mobilise Rs. 8,000 crores for this scheme. Sir, here I would like to tell you about my experience with this Government. The hon. Prime Minister goes go various States. He went to the North-Eastern region where he said that he is giving them Rs. 10,000 crores for the implementation of various programme; he went to Jammu and Kashmir and said that he is giving them Rs. 7,200 crores.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): From where?

SHRI V. NARAYANASAMY: I don't know from where these funds would come. That is the whole trouble here. Then, he went to Orissa to visit the drought aff .ted areas. There he said that a paltry sum of Rs. 50 crores would be given to that State. The Chief Minister of Orissa issued a statement that not even a single pie has been received by him in the last four months. Then Rs. 25 crores interim relief was announced for flood relief for the State of Tamil Nadu. They announced about Rs. 7 crores for my State, but so far we have not received /even a single pie from them. This is the slate of affairs about the credibility of " this Government, not to speak about implementation of various schemes.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): What Mr. Narayanasamy says is that even this ten kilogram will not be given to them.

. SHRI V. NARAYANASAMY: I am coming to the point. I am saying this by seeing their past record for the last eight . months. Wherefrom will they be able to get Rs. 8,000 crores? This is a genuine question which the hon. Minister has to answer. Apart from that, they have divided the people into two income groups. There are 35.97 per cent people who are living below the poverty line. Then, they have 21.58 per cent and 25.86 per cent poeple who are also to be protected. What protection have they giving to them? Today, even an IAS officer is having a ration card. He is also getting sugar at subsidised rates.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Even the Members of Parliament are having ration cards.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, even the Members of Parliament are having ration cards. Sir, the poor people who constitute about 35.97 per cent and living below the poverty line are to be protected. Then the other people who constitute 21.58 per cent and 25.86 per cent are also to be protected. I want to know whether they have given any protection to them or not. They will not be able to sustain their living on their meagre income which is a little above the income of' people living below the poverty line. I would like to know from the hon. Minister whether he has any package for these people. Sir, the guidelines that have been given are for anybody's interpretation. Now, by giving certain guidelines they have left it to the State Governments to decide. My experience with regard to State Governments is that they will decide according to their whims and fancies and according to their political considerations.

At the election 'time *m* Andhra Pradesh, there was an announcement to give rice at Rs. 2 a kilo tc the poor .people. What happened to the scheme? It is everybody's knowledge.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): It is existing.

SHRI V. NARAYANSAMY: I know. That scheme was scrapped and the prices have been increased in Andhra Pradesh.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: It has been done by the Congress. Do not forget that, Sir.

(SHRI A JIT P.K. JOG I in the Chair)

SHRI V. NARAYANASAMY: Therefore, Sir, the problem is with implementation of the scheme, as told by our hon. colleague, Shri Nilotpal Basu. It is everybody's concern. The Minister said that there was a monitoring system. Which monitoring system? I went, through the document, Focus on the Poor, wholly. The hon. Minister is groping in the dark with regard to monitoring system. Once again, he leaves it to the State Governments. What is the position of the State Governments with regard to PDS? I am asking this cutting across party-lines.

The scheme is there in my State also. Let us gather statistics. Today, it is 24th February. People there have not got rice, sugar, wheat or kerosene. Food items have not been made available to them for the month of February till this date. This is my experience of my own State. When people go to ration shops, the shopkeeper would tell them to come after a week. When people go after a week, he would say that no kerosene had arrived, that no palm oil had been received and that no wheat had been received. I am not blaming the Central Minister but I am blaming the State Governments. They have no money to pay for the PDS consignment on time. When that being the case, the Minister says, if the State Governments want to increase the number of benefeciarit.., they can do it at their own cost. Wherefrom the State Governments get money? Today, most of the State Governments are bankrupt. They are not even able to pay for the salaries of their employees. Then, how will they be able to allocate more funds for PDS until and unless you give them the money?

Therefore, Mr. Minister, I have my own doubts about the effectiveness of this system. It is just like the 13 party United Front Government. The system is also going to be like that. Therefore, first of all, you must get assurances from the State Governments that they would implement it effectively. Now, you have identified the beneficiaries. Have the State Governments agreed? Please do not try to fool around with people. This scheme is good but you are not going to be successful because there are flaws in it and, therefore, I oppose it.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I wholeheartedly congratulate the hon. Minister as well as the Prime Minister for this. This scheme was included in the Common Minimum Programme. This scheme has been based on the 1993-94 assessment by Prof. Lakdawala. In this connection, I would like to setk a clarification from the hon. Ministe. A great injustice has been done to the people of Andhra Pradesh. Prof. Lakdawala's assessment has shown 23% population to be below the poverty-line. Actually, it is 34-35%. This scheme was implemented in Andhra Pradesh fourteen years ago by late Shri N.T. Rama Rao and even now it has been in existence. This scheme has been doing well in Andhra Pradesh. I would like the hon. Minister to give a thought to if as to how in Andhra Pradesh this distribution system has been implemented. I would lik to know whether there will be any re-assessment with regard to the fixation of percentage of people below the poverty line. If it is not done, then there will be a great injustice to the people of Andhra Pradesh. I once again congratulate the Minister. I am sure the

Government will definitely implement it with the cooperation of the States. Thank you, Sir.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, this is a populist measure which gives an impression that elections are due because these schemes are basically announced on the eve of elections. We saw the schemes announced by the TDP in Andhra Pradesh. When the late Mr. N.T. Rama Rao was voted back to power through his scheme of Rs. *V*- per kg. rice, he came to the then Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, to get funds for this subsidised scheme. Mr. Narayanasamy has asked from where the Prime Minister will get the money. I hope the Prime Minister will not go to the World Bank. Sir, it is a laudable scheme because it is a charitable scheme. But charity cannot alleviate poverty, more so in India. I welcome this scheme provided it is implemented properly in this country. I am sure and I am confident that this will not be implemented properly because we do not have a proper system in our administration. The very Act passed in this Parliament, namely, Panchayati Raj and Nagarpalika Act, has not been implemented in many States. I raised this issue last time with regard to my own State. The powers are not given to the people down at the grassroot level. There is every possibility of this scheme being misused. The hon.. Minister has mentioned an amount of Rs. 8,000/-crores which will go to 33 crores of people. I do not think that the Government is serious about it because these schemes are announced halfheartedly without having any field work. Therefore, I would like to know from the Minister what foolproof measures the Government has adopted with regard to photo identity cards. Who will fund the bill for these photo identity cards? We have seen how much we spent on the scheme of identity cards introduced by Mr. Seshan. I would like to know whether the money will be made available to the States for this purpose because my State has rib funds in its coffers even to give salaries for the month of January. We have only Rs. 3.5 lakh in the teasury. My Chief Minister is in Singapore and 20 people have joined him at the cost of the State exchequer. So, whether the Government will give money to the State Governments to have the photo identity cards. We are making a mockery of the whole system, more so this weak Government. I do not think there was any hurry for this Government to announce this scheme. Elections were not due. We were not withdrawing support. We know what Mr. V.P. Singh did in the past. He announced Mandal. Now, this Government has announced this scheme. What is the fate of the economy? What is the rate of inflation in this country? It has gone up from five per cent to eight per cent. So where are we heading for? Then blame that Dr. Manmohan Singh is shouting. Naturally, because they are going to destroy the economy. They do not have a proper financial system in this country to run the affairs to the nation. I would like to know from the Government whether they have split up this figure of 32 crores State-wise. How many poor people are there in my State of Goa? I know whatever PDS quota we are getting in Goa, it does not go to the people of Goa. It is smuggled from across my State to Karnataka. I said this in the past also. The Ministers are involved; the officials are involved in it. There is no control from the Centre. The Government should have foolproof measures to see to it that this scheme benefits the poorest of the poor. We are all for them. But, at the same time, I feel giving charity will not solve the problem of poverty in this country. Giving charity will not solve this problem. On the contrary, people will be compelled to buy foodgrains and sell it in the open market because they can also make some profit. I am sure without doing any field work, without outlining a proper scheme, without brining a law to punish the guilty in f^se they are caught

misusing it—you cannot go ahead with the existing law—I do not think you will be able to implement this scheme.

And, I do not think that you will bt able to implement the scheme successfuly unless you have a proper law, foolproof law, with a special penal clasue. Unless there is such a kind of law, it is very difficult to say that the benefit will reach the poorest of the poor. I do not think that this scheme would be implemented properly. The hon. Minister has mentioned that 10 kgs. of foodgrains would be given per family. I wanted to know what kind of yardstick he has applied for this. There can be a family of two persons, husband and wife. There can be a family of 10 persons. There can be a family of even 20 persons in our country. I do not think that they have applied their mind on this seriously. They have just announced the scheme. I do not think it is a balanced scheme because the very fact that each family would be given 10 kgs. flat, proves my assertion. What are they going to do in case there is a big family? I would like the hon. Minister to reply to all these queries.

FROF. RAM KAPSE: Sir, in para 5 on page two there is a mention about rates. I would like to know from the hon. Minsiter, before implementation of this scheme what the rates for A.P.L. in the ration shops were? Of course, the hon. Minister has mentioned what the total subsidy after implementation of the present scheme would be. I want to know what the subsidy given was before implementation of the scheme. The total subsidy given before implementation of the scheme will throw light on the issue of lower middle-class and low middle-class. According to your booklet there are about 42 crore people in this category and they are the real sufferers because of the new scheme. What is the Government going to do for these people? This is my first query.

The next query is, you have mentioned in the first paragraph of the statement that the P.D.S. is not working properly as on date, you have given new guidelines, but at the same time, you are at the mercy of the State Governments. My second query is, if at all the State Governments follow the same system even where it is properly implemented, the situation is such that in cities like vlumbai, Delhi, Chennai, people get heir ration on ration cards and in villages nostly it is sold through fair price shops. *i* at all anybody is going to be benefited, t would be the trader who get all these grains and who sells it in black market. What assurance will you give that this vill reach, in the present form, the 32 :rores who are below the poverty line? rhis I would like to know. I know your mentions are good. But only good intentions do not suliice. If you have a system, there should be proper implementation, proper help from the States and if you spend properly for implementation of the scheme in the States then only you will succeed. Therefore, we oppose it in the present form..

4.00 PM

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot of ground has been covered by the hon. Members who spoke before me. I would just take a few minutes to share...

THE VICE- CHAIRMAN. (SHRI AJIT P.K. JOGI): Kindly be brief. The listed business was to be takem up at 3.30 p.m.

SHRI E. BALANANDAN: I would just invite the attention of the hon. Minister to a few things.

First of all, Sir, I must congratulate the Government on taking this bold step, in spite of the financial constraints faced by it. I hope everybody in the House would support this step. At the same time, Sir, with your permission, I wish to bring to the notice of the House as well as to the notice of the Minister the position in Kerala.

n Kerala, we are having a system of ; statutory rationing. We are not having sufficient rice and wheat. We have to get it from outside. Always, the prices of rice and wheat are high. Therefore, in our State, for long, we have been having our own system of statutory rationing. Under this system, everybody would get rice and wheat from the ration shop. We are having a distribution system which is the best in India, I must say.

Simultaneously, to arrest the price rise, we have introduced a system which is called 'Maveli Stores'. Under this, all the essential articles are bought by a public sector system from the wholesale centres and sold to the public at moderate price, on a 'no profit — no loss' basis. This always keeps the prices down. Sir, we are a State who have to depend on the other States for everything. But by introducing this system, we were able to control the prices all along.

I would, therefore, request the hon. Minister that while introducing this new scheme throughout the country, the statutory rationing system obtaining in Kerala should be taken into account. In some parts of the State, as an experiment, it can be tried. I know what some people, some well-to-do people, would have to be excluded. Their number is very few. At the same time, in the rural areas, the statutory rationing system has to continue.

I referred to the system of 'Maveli Stores' in operation in Kerala. That is again a system by which the Government intervenes to buy essential commodities from the production centres at wholesale prices and bring it to the distribution centres, open shops and sell the articles at moderate prices, neither making profit nor incurring loss. This arrests the prices of the essential articles sold in the State. I would suggest this for your kind consideration. This is a model scheme. It is being worked throughout the State and it is effective.

Now, Sir, everybody in the country is worried about price rise. As a result of the economic policies being pursued not only in India but in other countries as well, life has become costlier. We cannot afford to have that in our country. Therefore, there should be a system of control, a system by which all the people get something at cheaper rates, at affordable prices. If you have that kind of a thing, it would give us a big relief. I would request the hon. Minister fo consider these points.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय ने सिविल सप्लाई, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में खासतौर से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए एक नया प्रोग्राम, जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था, उसको 26 जनवरी से लागू करने के साथ आज इस सदन के सामने रखा हैं। विचार बहुत अच्छा हैं।

(उपसभाध्यक्ष (श्री जी. स्वामीनाथन) पीठासीन हुए)

पहल भी अच्छी हैं लेकिन पूरे सदन का ध्यान इस तरह लगा हुआ हैं कि यह लागू कैसे होगा। महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना हैं कि आपने प्रो. लाकडावाला कमेटी रिपोर्ट को समाने रखकर जिस माध्यम से गरीबी की रेखा को आंका हैं मैं उसको देख रहा था। यह पुस्तक है "फोकस आन दि पुअर"। इसके पीछे जो ग्राफ बना हुआ था, मैं उसको देख रहा था। इसके हिसबा से 40 हजार से ज्यादा जिनकी इनकम हैं... उनकी संख्या जो आकी गई हैं वह करीब 26.09 मिलियन हैं अगर किसी की आय 40 हजार से ऊपर होती हैं तो वह इनकम टेक्स पेवी हो जाता हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप ठीक से देख लीजिये ....(**व्यवधान**)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ठीक से देख रहा हूं आप भी ठीक से देख लीजिये। 15.96 मिलियन मिडल ग्रुप जो हैं दैट कम्स टू 26.09 मिलियन। जहां तक मैं जानता हूं जिसकी आय 40 हजार से ऊपर होती हैं वह इनकम टेक्स पेयी हो जाता हैं। अगर 26.09 मिलियन लोग इस देश में इनकम टैक्स प्रयी होते तो इस देश की कोई तकलीफ नहीं होती। परन्तु इस देश में सिर्फ 86 लाख लोग अथवा 8.6 मिलियन लोग टेक्स देते हैं ....(**व्यवधान**).... यह आंकड़े कहां से आए हैं, मैं पूछ रहा हूं ....(**व्यवधान**).... महोदय मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ कर

कह रहा हूं। यह गलत आंकड़े समाने रखे गये हैं, इसका विश्लेषण आपने नहीं किया हैं। ....(**व्यवधान**)....

एक माननीय सदस्य : यह आपके जमाने के ही हैं ....(**व्यवधान**)....

श्री एस.एस. अहुवालिया : यह हमारे जमाने और आपके जमाने की बात नहीं हैं। यह राष्ट्र की बात हैं और यह आपके सिर के ऊपर की बात हैं। ....(**व्यवधान**).... जो आपकी समक्ष में नहीं आ रही हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आपके सिर के ऊपर से निकल रहा हैं समझ में नहीं आ रहा हैं, उसको आप समझिये। यह आंकड़े किस के दिये हैं, रूरल इण्डिया के दिये हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद : आल इन्डिया के हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : अगर आल इन्डिया के आंकड़े हैं तो गलत आंकड़े हैं। सही आंकड़े आप कर सदन को बताएं। आप इस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं। इन आंकड़ो के हिसाब से, आपके आंकड़ो के हिसाब से 26.09 मिलियन लोग टेक्स पे कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में हर रिपोर्ट यह कहती हैं, इकोनोमिक सर्वे कहता हैं कि 8.6 मिलियन लोग टेक्स पे कर रहे हैं। यह आपके आंकड़े कहां से आएं हैं? ....(**व्यवधान**)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अभी बता देता हूं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : बता दीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य जिस चार्ज को देख कर कह रहे हैं, इस मे टेक्सपेयी का सवाल नहीं हैं। यह सवाल हैं मिडल क्लास, हाई मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, यह इण्डियन सोसायटी के स्ट्रक्र का क्लासिफिकेशन हैं जिसमें बताया गया हैं कि किस आमदनी के कितने लोग हैं। जैसे 86 हजार से नीचे की आमदनी वाले कितने लोग हैं, 62 हजार से नीचे की अमादनी वाले कितने लोग है, 40 हजार से नीचे वाले कितने लोग हैं और 20,000 से नीचे वाले कितने लोग है। इस तरह से केटेगरीज बना ली गई हैं। इसको देखा गया हैं। इसमें टेक्स देने के आधार का कोई सवाल नहीं हैं। जन वितरण प्रणाली जो हमारी हैं जो लोग बिलो दॉ पावर्टी लाइन हैं, आज तक उनको खाघान्न नहीं मिलता रहा। एक माननीय सदस्य ने कहा था, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आई.ए.एस. अफसर सभी बड़े लोगों को राशन से सारा अनाज मिलता रहा। यह दुर्भाग्य हैं कि जो लोग बिलो दॉ वापर्टी लाइन हैं, जिनको रेड दिखाया गया हैं, इनको नहीं मिलता रहा, आजादी के 50 वर्षो में इन लोगों को राशन से अनाज नहीं मिलता रहा जिनकी आबादी इंगित की गई हैं 35.97 प्रतिशत— 36 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको आज तक बहुत कम अनाज मिलता रहा हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं ....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा राजनीतिक उत्तर दे दिया हैं।

श्री गया सिंह (बिहार) **:** और क्या होगा? ....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : गया सिंह जी, जरा शांत रहिये, इसका जवाब देना पड़ेगा। यह आंकड़े गलत हैं। यह जो 40 हजार की आमदनी का क्लासीफिकेशन किया हैं, क्या वह टेक्स पेअर नहीं हैं आप कहिये?

एक माननीय सदस्य : डांट क्यों रहे हैं?

श्री एस.एस. अहलुवालिया : डांट नहीं रहा हूं। मेरी यही आवाज हैं। खालिसा घी खाने वाले आदमी हूं। देवेन्द्र प्रसाद यादव जी मेरी आवाज से अवगत हैं। यह जो बंटा हुआ हैं, मंत्री जी आप इसको मानिये कि गलत बना हुआ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस पर मान रहे हैं कि पहली बार सरकार ने माना कि 35.97 बिलो दा पावर्टी लाइन हैं। इसका कारण यह है कि जो यह जो आपकी किताब हैं इसमें आपने जो सब कुछ लिखा हैं, मोनिटरिंग सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन इनिशियल आइडेंटिफिकेशन, इर्श्यूस आफ कार्ड, सब कुछ लिखा हैं, लाकडवाला की दूसरी रिपोर्ट हैं जहां पर अरबन पूअर 40 परसेंट से ज्यादा हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAM1NATHAN): Excuse mc. May I know from the Minister whether the income statistics also include the agriculture income?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं, कृषि नहीं रखेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, नेशनल कौसिल आफ् एप्लाइड इकोनोमिक की रिसर्च की, जो इसमें आपने बताया कि 35.97 से ज्यादा गरीबी के रेखा के बीच हैं अब यह स्टडी मैं समझता हूं कि यह एक दिन बहस ले आयेगी।

हम तैयार हैं। लेकिन 1987-88 मे जो एस्टीमेंट सैंपल सर्वे के आधार पर लाकडवाला एक्सपर्ट समिति के जरिए जो 1986-87 में भी एक सैंपल सर्वे हुआ था उसके फिगर को आप इसमें मिला रहे हैं। यह प्लानिंग कमीशन के जरिए जो न्यू एडाप्टेड बी.पी.एल. फिगर्ज हें उसका अघतन हैं। इसलिए माननीय सदस्य दोनों फिगर को मिला रहे हैं। हमने किताब में जिक्र कर दिया है ...(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (G. SWAMINATHAN): Excuse me. The point raised by the hon. Member is in regard to the income-tax payees, but the agricultural income people do not pay income-tax. So, there may be a difference between the two. It is better the Minister clarifies this point. It is a very important point, because the agricultural income does not come within the income-tax net.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir, it is the all-India figure. I wanted a specific answer on this.

यह क्या हैं? इसमें एग्रीकल्चर डाइवासीफिकेशन किया हैं या नहीं किया है? अगर किया हैं तो वह कैसे किया हैं रूरल पूअर का और अर्बन पूअर का? ...(**व्यवधान**)....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमे विस्तार से कह दिया हैं। अभी पी.डी.एस. पर बोलिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं-नहीं आप इसी पर आधार करके दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पी.डी.एस. पर पूछिए। आधार आपका यही हैं। बेस आपका यही हैं और आप कह रहे हैं कि पी.डी.एस. पर तो पूछेंगे किंतु आधार ही गलत हो तो फिर क्या पूछेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : 80 परसेंट से ज्यादा लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो उनको टैक्स थोड़े ही लगता हैं। इसलिए आप उनको क्यों कहते हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं, डिपेंड नहीं करते ...(**व्यवधान**).... जिनकी इनकम एग्रीकल्चर से होती हैं उनको टैक्स नहीं लगता हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो खेती पर ही निर्भर करते हैं उनको भी आप थोपना चाहते हैं क्या? आपकी धारणा क्या हैं? ...(**व्यवधान**)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप सुनिए। आपको इसकी इसी तरह बनाना चाहिए था कि रूरल मासेज इतने हैं और अर्बन यह हैं। ...(**व्यवधान**)....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप विस्तार से पढ़िए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a wrong information laid on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Minister can reply to it later on.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने कार्यक्रम को लागू करने के लिए ...(**व्यवधान**).... बस इतना ही रिकोग्राइज कीजिए, वही काफी हैं। ...(**व्यवधान**).... आपने इसमें फूलड ग्रोन एरिया और ड्रवाट प्रोन एरिया के बारे में और कटाव क्षेत्र के बारे में, चूंकि आप बिहार के हैं और आपको मालूम हैं कि हमारे देश में प्रकृति की विभीषिका ऐसी हैं कि कहीं सुखड़ तो कहीं बाढ़ और फिर कहीं कटाव और कटाव में तो पूरी की पूरी पंचायत कट कर निकल जाती हैं, घर बार कट कर निकल जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा हैं? उसके बारे में कोई प्रावधान इस सिस्टम में नहीं हैं। अब जब पंचायत नहीं रहती, ग्राम सभा भी नहीं रहती, कार्ड नहीं रहते, कुछ नहीं रहता, आदमी सड़क के किनारे रहता हैं तो उसके क्या प्रावधान आपने रखा हैं? मैं समझता हूं कि एक-चौथाई बिहार का हिस्सा इसी से ग्रासित हैं और उसके के बारे में कोई प्रावधान नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय,मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा हैं कि टेन के.जी. पर फैमिली फूडग्रेन्ज देंगे। अब जो बिलो द पावर्टी लाइन रहते हैं उनकी फैमिली में कितने सदस्य होते हैं इससे मेरे से ज्यादा आप अवगत हैं। ...(**व्यवधान**).... और ज्यादा होते हैं और उनकी फैमिली को टैन के.जी. पर मंथ दे कर आप क्या दे रहे हैं? उसी के साथ-साथ आप कहते हैं जवाहर रोजगार योजना में वन के.जी. राइस और व्हीट पर पर्सन, पर डे दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**).... और दूसरी सब से बड़ी बात हैं बिलो द पावर्टी लाइन में भी आपने एक स्ट्रक्चर ढूंढा हैं। टैन के.जी. एट ए टाइम दिया जाएगा पर मंथ। टैन के.जी. का समान खरीदने की क्षमता उस गरीब आदमी में एट ए टाईम हैं या नहीं, उसका असैसमेंट क्या आपने किया हैं? अगर 4 रूपए के.जी. दे रहे हैं तो उसे रूपए चाहिए। यह क्षमता हैं उस की?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह 2.50 है। एक दिन की मजदूरी से कम।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : ठीक हैं साढ़े 22 रूपए ही लेते हैं हम और साढ़े 22 रूपया मजदूरी एक दिन में मिलती हैं तो "बिलो पावरटी लाइन" नहीं आएगा?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would request the Member not to addtess the Minister. I iwould also request the Minister not to a*ffess the Member. Instead of addressing each other directly, address the Chair.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार में 35 रूपए मिनिमम वेजेज हैं और अगर ये 22 रूपए बता रहे हैं तो पहले तो लेबर डिपार्टमेंट पकड़ेगा कि 35 रूपया नहीं 22 रूपया कैसे कमा रहा हैं? महोदय, जिस को नौकरी नही हैं, खाने को नही हैं और एक कमानेवाला और दस खाने वाले हैं, वैसे हालात में ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था की गयी हैं, पर ये कभी उस पर साचेंगे कि प्रैक्टीकल परपजेज में यह इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनो मैं मद्रास से दिल्ली की फ्लाइट पर था, उस में मुझे एक आदमी मिला। उस आदमी की तरफ किसी कारणवश मेरा ध्यान गया। हवाई जहाज ने ज्योहीं "टेक आफ" किया, उस ने अपने कान में एक प्लास्टिक का यंत्र लगा लिया था। मैं ने पूछा कि यह क्या हैं? उन का जवाब था कि हवाई जहाज मे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हैं और यह यंत्र उसे कंट्रोल करता हैं।फिर मैं ने पूछा कि, कहां, रहते है? बैकाक में रहता हूं। मैं ने प्रश्न किया, कहां करते हूं। मैं सच बता रहा हूं। मैं ने प्रश्न किया, कहां करते है। बोले कि गल्फ कंट्रीज में चावल सप्लाई करता हूं। मैने पूछा फाइन राइस, सुपर-फाइन राइस या आर्डनरी राइस? वह बोले, आर्डनरी राइस करता हूं, बासमती राइस नहीं सप्लाई करता। मैं ने कहा कि, कहां से करते हैं? वह बोले कि साउंथ इंडिया से करते हैं। मैं ने सवाल किया कि साउथ इंडिया से चावल ले जाना तो बहुत दिक्कतवाली बात हैं क्योकि साउंथ इंडिया तो ईस्टर्न इंडिया और नार्थर्न इंडिया से चावल लेता हैं। उन के पास तो चावल कम हैं क्योकि वहां लोग चावल खाते हैं और उनकी खपत पूरी करने के लिए नार्थ इंडिया से चावल आता हैं। फिर आप को एक्सपोर्ट करने की परमीशन कैसे मिलती हैं? वह बोले कि साहब, यह जो सब्सिडाइज्ड चावल एक रूपए, दो रूपए के.जी. मिलता हैं, मैं यह सारा का सारा उठा लेता हूं और गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता हूं। महोदय, मैं आश्चर्यचाकित हो गया कि हम यहा सब्सिडी बांटते हैं और ये उस को बेचकर खानेवाले बैकाक में रहता हैं और हमें पता नहीं। .यह मॉनीटरिग सिस्टम हैं। महोदय, हमारे मंत्री महोदय बिहार के सांसद हैं, यह कहीं से अपने क्षेत्र से ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU: Just now the hon. Member has mentioned that he has travelled with some person. Can he give us some more particulars about that person so that I can ask our Government to take action?

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Baalu, I know what action your Government takes.

SHRI T.R. BAALU: The House should not be misled. He is giving wrong information. If what he has said is correct, let him" give us recorded evidence.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Minister, don't intervene in these matters. On this matter, don't challenge me.

SHRI T.R. BAALU: I am not challenging.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Don't challenge a Member. When I am sharing this information, when I am not giving wrong information, who is he to say all these things? ..*(Interruptions)*... It is my personal information. It is not a public property. I am sharing my personal information.

SHRI T.R. BAALU: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member has narrated some story. ..*(Interruptions)*... Yes, it was a story. If it was not a story, let him give evidence, through you, to the House. We would ask the State Government to take suitable action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Mr. Ahluwalia, the Minister wants you to substantiate it. That is what he wants, through the Chair.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, if I want to make an accusation against a particular person, then only I have to substantiate it. But if a Member of Parliament narrates any personal experience or shares personal information, then, he is not bound to divulge anything.

SHRI T.R. BAALU: He should not cast aspersions like that. A.. *(In terruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): As a Minister he wants to take action against those people who are doing wrong things. If you are able to give information, you give it to him. They would take action. If you are willing, you give him the information. If you are not willing, you can refuse. That is between you and the Minister.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am coming to the next point. But the Minister should not intervene like this. He was a Member of this House. He is aware of the convention of this House. When he said that I am giving a wrong information, I think, he is inviting trouble for himself.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): No, no. He is only telling the Chair that he does not accept it, that it is wrong information. He has got a right to say that. He has got a right to say that he does not accept it and it is wrong information. And you can say it is right information.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am saying so.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): You cannot prevent him from saying that it is wrong data, wrong information. That is his point of view. Your point of view is that it is right information. You argue your point. He has got a right to say his point. Neither he can interfere with you, nor can you with him. I would only request you to complete it now.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप ऐसे राज्यों का पता लगा लें, जहां लोग गेहूं का आटा नहीं खाते। अब जहां लोग आटा नहीं खाते हैं, वहां आप गेहू भेज देते हैं। आपकी ऐलोकेशन ऐसे राज्यों को होती हैं, जहां कि लोग गेहूं का आटा नहीं खाते हैं। ....(**व्यवधान**)... आप कृपया शांत रहें। और, आप ऐसे राज्यों का भी पता लगाइए, जहां एडीबल आयल नहीं खाया जाता और वहां यह एडीबल आयल भेज दिया जाता हैं। आखिर, इस तरह का गेहूं और एडीबल आयल कहां जाता हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : पी.डी.एस. के बारे में हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया : पी.डी.एस. का ही कहा हैं, क्या ऐसे राज्यों में आप भेजेंगे जहां गेहूं नहीं खाते हैं लोग? .....(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I would make a request to the hon. Minister. If he wants to reply, he can stand up and reply. It is not fair for him to keep sitting and giving points of fact to the Member and for the Member to argue with the Minister. I do not think it is fair. The Minister and the Member should address the Chair. Now, please conclude, Mr. Ahluwalia. You have already taken 20 minutes., While others have taken 10 minutes, you have taken 20 minutes.

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसे राज्यों का जरा पता लगाकर पहले आईडेंटिफाई करें, जहां गेहूं नहीं खाया जाता हैं और जिनको गेहूं की एलोकेशन होती हैं। इसी तरह ऐसे राज्यों को चावल की एलोकेशन होती हैं, जहां लोग चावल नहीं खाते हैं। इन दोनों चीजो का पता लगाकर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में चावल जाएगा और इस क्षेत्र में गेहूं जाएगा। क्या आपने ऐसा कोई आइडेटिफाई किया हैं या मैंपिंग की हैं या नहीं की हैं डिपार्टमेंट के माध्यम से? अगर की हैं तो उसे सदन के सामने कृपा करके रखें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना हैं कि अरबन पूअर का जैसा कहा, 40 परसेंट अरबन पूअर हैं। इनको आपने अपनी पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं बताया हैं कि इनके कार्ड कैसे बनेंगे,कौन बनाएगा? आपने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा इनीशियल कार्ड बनाने की परंपरा शुरू करने की बात कही हैं। यह आप

अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास कोई भी आया, जिसे गरीब रेखा से नीचे रहने का सर्टिफिकेट चाहिए तो अमीर से अमीर आदमी भी उस ग्राम सभी में उसे ले आता हैं। तो क्या आप उसी को आधार मानकर कार्ड सुनिश्चित करेंगे या आपने और कोई नई बात अपनाने की सोची हैं? इस बारे में भी बताने की कृपा करें।

महोदय, यही सब बातें मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री रामनाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत सारे स्पष्टीकरण मांगे हैं, मैं उन स्पष्टीकरणों में कुछ नई बातें जोड़ना चाहता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान इस पुस्तिक की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें मैंने देखा हैं कि एक पत्र विभाग के सचिव ने 14 फरवरी, 1997 को प्रदेश के सभी खाद्य सचिवों को लिखा था और उसी के मुख्य पैराग्राफ यहां पर मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया हैं उसमें बिल्कुल एग्जेक्टली रिप्रोड्यूस किया है। मैं इस दृष्टि से यह पूछना चाहूंगा, मेरा स्पष्ट स्पष्टीकरण यह हैं कि मंत्री महोदय आपने जो यह स्टेटमेंट दिया हैं इसको हम आपका स्टेटमेंट मानें अथवा जो आपके विभाग के सचिव ने पत्र लिखा हैं इसी स्टेटमेंट के रूप में वह पय मानें? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेटमेंट और पत्र, इन दोनों में जो अंतर मुझे समझ में आया हैं, वह यह है कि पत्र में उन्होने प्रपोजल्स बताए हैं और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हैं, उसे डिक्लेयर करने की फार्म में स्टेटमेंट आया हैं। आपके स्टेटमेंट का जो पहला पैराग्राफ हैं उसमें आपने कहा है कि Realising this,the Government proposes

पैराग्राफ 3 में आपने कहा हैं कि "To start with, it is proposed." This is also a proposal. In paragraph 4, it is stated, the Government also proposes.... This is also a proposal**.**

मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया हैं जो इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपने रखा हैं क्या वह अंतिम निर्णय हैं नया केवल एक प्रपोजल हैं?

महोदय, मंत्री जी ने कहा हैं कि इस स्कीम के लागू हो जाने से 32 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आपने यह भी माना हैं कि आज का जो पब्लिक डिस्टिब्यूशन सिस्टम हैं, उसमें केवल 16 करोड़ बैनिपिशरीज हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस स्कीम को लागू करते समय जो 16 करोड़ बैनिपिशरीज का अंतर हैं, उसको आप कैसे दूर करेंगे और इस नयी प्रणाली से कब तक यह काम पूरा करेंगे। उसकी मैक्सिमम टाईम लिमिट क्या होगी?

महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस पुस्तिक के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को कह दिया कि 26 जनवरी, 1997 को यह स्कीम लागू हो गई। तो क्या आप इस सदन को बताने का कष्ट करेंगे कि किन राज्यों ने आपकी इस स्कीम को लागू कर दिया हैं? उन्होने अगर कोई कमेंट्स भेजे हैं, तो आप उनसे भी हमें अवगत कराएं।

महोदय, लकडावाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1993 में जो फैमिलीज बिलो पोपर्टी लाईन आइडेंटिफाई की गई थीं, उन्हीं को आपने इस योजना में शमिल किया हैं। तो 1993 के बाद के 3 सालों में जो फैमिलीज बिलो पोवर्टी लाईन आ गई हैं, उनके लिए क्या आप कुछ रिलीफ देंगे?या आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि 1993 तक जो फैमिलीज बिलों पोवर्टी लाईन आईडेंटिफाई हुई हैं, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं, इसके लिए आपने क्या कोई समाधान निकाला हैं?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the matter is being sorted out between Shri S.S. Ahluwalia and the Minister.

The VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I dodn't know. I think they are sorting out the matter between themselves. If they have sorted out the matter, it would be better if they inform the House that they have sorted out the matter. *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: If they had done it earlier, that time could have been saved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): There are two, three Members who want to speak on this subject. I want to know from the hon. Minister as to how much time he requires. There are two, three speakers who want to speak. Shri Mohd. Azam Khan, Shri Mool Chand Meena. Shri Mool Chand Meena.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सार्वजानिक वितरण प्रणाली के संबंध में जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी का आया हैं उससे ऐसा लगता हैं कि जिम्मेदारी से सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रही हैं, केवल कागजी कार्रवाई कर देती हैं, घोषणाएं कर देती हैं। लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करके कार्यप्रणाली से कार्य नहीं करना चाहती। प्रो. लाकडावाला की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सार्वजानिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया था। उसमें कुछ खामियां हो सकती है लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने वक्तव्य के अंदर कहा हैं कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए असफल रही हैं यह जिम्मेदारी का वक्तव्य नहीं हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं हैं कि किसी सरकार के कार्य को एकदम ही असफल बना दिया जाए। यह कह सकते हैं कि कुछ खामियां रही हैं जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। तो मंत्री जी इसमें सुधार करेंगे। जो आपका आज का वक्तव्य है वह केवल गरीबी के रेखा के नीचे जो लोग जीवनयापन कर रहे हैं, उस पर केन्द्रित रखने के लिए सार्वजानिक वितरण प्रणाली का यह कार्यक्रम आपने दिया हैं। इसकी मानिटरिग किस प्रकार से आप करेंगे क्योकि सारी जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी हैं। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं उनकी जांच करने का, उनकी खोज करने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, उनको विशेष कार्ड जारी करने है उनको भी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को हैं। केवल आप तो खाघान्न उपलब्ध कराने की बात कहते हैं। आपने स्टेटों के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाकर कोई विशेष निर्देश स्टेटों को दिए हैं जिससे वास्तविक रूप से आज आप 32 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे है उनको लाभ पहुंच सके। जो नई स्कीम आप लागू कर रहे हैं- सार्वजानिक वितरण प्रणाली, इसको वास्तविक रूप में प्रेक्टिक्ल रूप में कार्य करने के लिए कोई दिशा निर्देश आपने दिए हैं तो वह दिशा निर्देश क्या हैं। इस प्रणाली को सुचारू रूप से और सफल रूप में कार्य करने के लिए आपने नियंत्रण के लिए कोई मॉनिटरिग सैल अलग से बनाया हैं? राज्यों की सहायता पर आधारित इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं,मुझे ऐसा लगता हैं। पिछली सरकार ने सार्वजानिक वितरण प्रणाली का एक एतिहासिक कार्य किया था कि शैड्यूल्ड कास्ट और डैड्यूल्ड ट्राईब्स तथा जो डेजर्ट एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए एक स्कीम प्रारम्भ की थी। लेकिन आज मंत्री जी उस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। कुछ महीने पहले इस देश के अंदरन इनकी व्यवस्था के कारण खाघान्न की स्थिति यह हो गई थी कि आटा 15 रूपए किलो बिका था। इस पर मूल्य नियंत्रण नहीं रह पाया। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इस प्रणाली को यह सफल रूप में कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे। इनका जो मॉनिटरिग सैल हैं या जो व्यवस्था हैं, उसको स्पष्ट करें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली में जो कर्मचारी, अधिकारी इस कार्य में लगे रहेगे उनके लिए या विशेष गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों को कोई लाभ पहुंचाने के लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की हैं तो किस प्रकार से की हैं, वह स्पष्ट करें। मैं यही जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI YERRA NARAYANASWAMY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the United Front Government for implementing the Targeted Public Distribution System throughout the country. But, according to the methodology of the Expert Group headed by Prof. Lakdawala, injustice has been done to Andhra Pradesh. According to the Expert Group's opinion the percentage of people who live below the poverty line in Andhra Pradesh is 22.19, whereas the national average is 36%. After 30 years of independence the Andhra Pradesh Government under the former Chief Minister, N.T. Rama Raoji, implemented the scheme of Rs. 2 per kilogram of rice. Now the present Government is implementing the rice subsidy scheme of Rs. 3.50 per kilogram. The Expert Group has taken into account the purchasing power of the people who are enjoying the State subsidy scheme. The percentage of people below the poverty line in Andhra Pradesh has been put at 23% after taking into account the purchasing power of the people under the existing rice subsidy scheme. I am contesting this and I am disagreeing with the Expert Group's study. In Andhra Pradesh the original figure of the people below the poverty line was 36%. The Centre must look into the matter. While implementing the scheme the percentage of people below the poverty line in Andhra Pradesh should be taken as 36. Foodgrains for Andhra Pradesh lender

this PDS scheme must be allotted taking into account this 36% average. I want a clarification on this from the hon. Minister.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak. Fifty years after independence, for the first time, the United Front Government headed by Shri Deve Gowda has realised the necessity for an effective public distribution system which would ensure supply of foodgrains and other commodities to the people below the poverty line in a more effective and transparent manner. As we all know, our present PDS has not been very successful. It has failed. I don't want to go into the reasons as it may become a matter of controversy.

To start with, under this scheme ten kilograms of grains would be supplied through the PDS at a specially subsidised price to the families which are below the poverty line. Here I want to put one question to the hon. Minister. These estimates are for the year 1993-94. They have been arrived at as per the Planning Commission report and the report of the Expert Committee headed by Prof. Lakdawala. Would this number of families be, time and again, changed according to the ground realities or would this number be static? Sir, the distribution of foodgrains at the rate of ten kilograms per month per family is a beginning only. As we are all aware, any increase depends on the procurement of grains by various Government agencies.

Wejjftye certain obligations. We have certain schemes like mid-day meal, food for SC and ST hostels, etc., for which foodgrains have to be supplied. After fulfilling these obligations, the foodgrains available for issue through the PDS is between 162 lakh metric tons and 170 lakh metric tons which would, most probably, be distributed under the present scheme.

The families would be identified on the basis of the Expert Group report which "has very clearly laid down guidelines for" identification of families. In this particular case, the Gram panchayats and Gram Sabhas have been asked to identify eligible families. If there is any doubt, these cases can be verified. Some hon. Members have expressed a doubt that the urban population has been left out and nothing has been done for them. Sir, it has been clearly mentioned in the report that the slum dwellers would generally—qualify for the Below Poverty Line. If there is any family which is not living in a slum area, that family can also get these benefits. The families which have been taken into account are landless agricultural labourers, marginal farmers, rural artisans/craftsmen such as potters, tappers, weavers, etc. I compliment the Government for introducing this scheme,

SHRI K.M. SAIFULLAH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate the United Front Government for introducing this scheme. But the credit should go to Andhra Pradesh because this scheme was first introduced in Andhra Pradesh when the late N.T. Rama Rao was the Chief Minister. This scheme is still there. My only grievance is in Andhra Pradesh the percentage of persons below the poverty line is fixed at 22.19. But the all-India, average is 35 per cent. I would request the Minister to reassess it. I would request the Minister to give orders for reassessment and allow Andhra Pradesh to avail of the scheme for 35 per cent. Thank you.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, काफी विस्तार से माननीय सदस्यों ने मेरे द्वारा लक्षित सार्वजानिक वितरण प्रणाली पर जो मैंने वक्तव्य दिया, उस पर लगभग दो दर्जन माननीय सदस्यों ने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी को सदन के सामने रखने का काम किया और उसमें कई अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिस भावना से कहा, उनकी एप्रोच कन्स्टक्टिव थी। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि एक सवाल सबसे पहला था कि इसमें काफी चर्चा की गयी है या नहीं और राज्यों को विश्वास में लिया गया हैं या नहीं तथा इस योजना को

लागू करने से पहले किस-किस स्तर पर कन्सल्टेशन हुआ, इसके संदर्भ में मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी जो सामने बैठे हुए थे, उन्होने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। मैं पहले उनको पार्टी के घोषणा पत्र की सिर्फ एक पंक्ति उद्ध कर देना उचित समझता हूं। सार्वजानिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा हैं कि "सार्वजानिक वितरण प्रणाली की पुनः संरचना, रीस्ट्रकार कर इसको सिर्फ गरीब और जरूरतमन्दों पर सीमित रखना चाहिए"। दूसरी पक्ति फिर से मैं पढ़ देता हूं। "सार्वजानिक वितरण प्रणाली को गरीबी उन्मूलन से संबद्व रोजगार कार्यक्रम में काम के बदले अनाज देने के अनुकूल बनाया जाएगा"। यह उनका घोषणा पत्र हैं। अब चाहिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। मैं सभी पोलिटीकल पार्टीज के धोषणा पत्र का जो आपेरटिव पोर्शान हैं सार्वजानिक वितरण प्रणाली के सन्दर्भ में, उसको मैं उद्वघृत करता हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने एंगल से इस बात को रखा हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि असफल क्यों हो गया। मेरी कोई भावना ऐसी नहीं हैं इस योजना को लागू करने की। त्रुटि मान लीजिए, खामी मान लीजिए। हम इसको मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में "गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन" शीर्षक के तहत उसमें कहा गया हैं, "संपुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली का विस्तार देश के सभी संधानों, पिछड़े ब्लाको में और शहरी मालिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों तक करेंगी। संपुष्ट सार्वजानिक वितरण विदिन पीडीएस प्रणाली में वितारित किये जाने वाले चावल, गेहूं के निर्गम मूल्य का दो रूपये प्रति किलो तक दाम तय करेगी"। मैं नहीं कह रहा हूं सभी पोलिटीकल पार्टीज कह रही हैं।

अब चले आइए सीएमपी पर। कानून मिनिमम प्राग्राम जो सयुक्त मोर्चा की सरकार का हैं जिसमें 13 पाटियां हैं उन्होने कहा। नेशनल कांफ्रेस को लगाकर 14 पार्टिया हैं। इन 13 पार्टियों ने एक घोषणा पत्र बनाया और उस घोषधा पत्र मे साफ कहा हैं कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली को सुप्रभावी बनाने के बारे में उम्मीद की जाती हैं कि सरकार आधे दाम पर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को खाघान्न उपलब्ध करायेगी। यह संकल्प हैं सीपीएम का। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने के संदर्भ में घोषणा की थी। यह घोषणा को मैंने उद्धत कर दिया हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था। "सार्वजानिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम की बहुत आलोचना हुई हैं। कई राज्यों में गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका हैं। अब हमने सार्वजानिक वितरण प्रणाली में क्रमबद्व तरीके से विस्तार करने का निर्णय लिया हैं जिससे गरीब परिवार परिवारों को हर महीने सामान्य से आधी कीमत पर दस किलोग्राम तक चावल और गेहूं दिया जा सकें। मैं पहले आपकी पार्टी की बात कह रहा हूं। इस में डिटेल्स ही आपकी नहीं हैं और भी चीज आपकी हैं। आप इस संदर्भ में और भी बोले हैं, लेकिन मैं इस मे वहीं पूर्ण विराम करता हूं।

इस योजना का जो समाज के गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं जो लास्ट मैंन आफ दा सोसायटी हैं, जो पूअरेस्ट सैक्शन आफ पीपुल्स हैं, उनके लिए लागू किया हैं, इसलिए इसकी एप्रोच में आपने जो भावना की हैं, मैं उसकी कद्र करता हूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उन सम्मानीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होने शंकाओं का उठाया हैं। मेरे मन में भी शंका आई थी। कई माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि आपने इस संबंध में काफी अभ्यास किया हैं या नहीं? आपने किस-किस स्तर पर विचार किया? मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में चार-पांच जुलाई को सीएम की कांफ्रेस हुई उसमें मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया था। उसमें सात बेसिक नीड्स पर, मिनीमम बेसिक नीड्स पर विचार हुआ था और उस सम्मेलन में सातवें नम्बर पर यही पीडीएस था। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से सुप्रभावी बनाया जाये, किस तरह से फोकस आन पुअर,किस तरह से गरीबोभुखी बनाया जाये इसके लिए मैं प्रस्ताव लेकर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में गया था। उस सम्मेलन की माननीय प्रधान मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैंने जब यह प्रस्ताव राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रखा तो माननीय मुख्य मंत्रियों कजे सम्मेलन में मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया गया। उनका एक संशोधन केवल इतना था कि जो एक्जीस्टिंग पीरिएड हैं उसको तुरंत खत्म नहीं किया जाएगा और फेज वाइज इस पर विचार किया जाएगा। चूंकि एक व्यवस्था चली आ रही हैं एक्जीस्टिंग पीडीएस सिस्टम की, उसको तुरंत रोका नहीं जाए तो मैंने कहा कि ठीक हैं डेमोक्रेटिक प्रणाली से हमको काम करना हैं। मैंने उसको भी प्रोटेक्ट करने का वचन दिया। लेकिन कितने दिन तक इसमें प्रोटेक्ट कर पायेंगे वह तो आगे जब पीडीएस लागू होगा तो धीरे-धीरे। Affluent class should be excluded. यह आप भी चाहते होंगे और हम भी चाहते हैं लेकिन मैं आपसे साफ कह

देना चाहता हूं कि इसके बाद सात तारीखद को फूड मिनिस्टर्स की कांफ्रेस यही दिल्ली में हुई। सभी राज्यों के फूड मिनिस्टर्स को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और सभी फूड मिनिस्टर्स के सामने मैंने सारी चीजों को रखा। यह जो लाकड़वाला एक्सपर्ट कमेटी हैं, इसके पहले जो 1987-88 में एक्सपर्ट कमेटी या एनएसएस, जो नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था उस सर्वे के जरिए जो एस्टीमेंट आया था वह बहुत कम था बीपीएल का, बिलो का पावर्टी लाइन पीपुल्स का। अभी कहा गया कि नहीं ये तो 87-88 के फूड ग्रेन का है, आप नया लाइने अभी तक का एस्टीमेंट लाइये। उसमें बहुत से गरीब छुट जायेंगे। हमने उनके विचार को उसी समय अंगीकर कर लिया उस सम्मेलन में। हमने लाकडावाला एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर फिर से योजना आयोग से सम्पर्क किया। अभी एडोप्टेड फार्मूला में जो बीपीएल का एस्टीमेट दिया हमने 1993-94 के आधार दिया। प्रोफेसर लाकडावाला एक्सपर्ट कमेटी को आधार बनाया गया। और उसी आधार पर उन्होने बताया, उन्होने कुछ राज्यों में कम किया। गरीबी रेखा के मापदंड के विषय में जो चर्चा हुई हैं उसमें कुछ राज्यो की गरीबी को अर्बन इलाके में ज्यादा बताया गया। इस तरह से अभी जो 1993-94 को आया उसको हमने एडाप्ट किया। एनडीसी, नेशनल डेवलपेंट काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई थी 16 जनवरी को उसमें साफ शब्दों में हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सबसे ज्यादा हैं। उन्होने यह नहीं कहा कि यह एस्टीमेंट सम्पूर्ण रूप से, कम्पलीट रूप से पूरा हैं लेकिन उन्होने कहा कि सबसे ज्यादा नजदीक से इस एस्टीमेंट को तैयार किया गया हैं, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया हैं। इसमें जो गरीबी रेखा का आकलन किया गया वह सबसे ज्यादा उचित हैं, पिछले से ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयार किया गया हैं तो हमने उसको एडाप्ट किया। हमारी जो गाइड लाइन्स हैं उनमें स्पष्ट उनका जिक्र हैं। हमारे कुछ माननीय सदस्य और श्री अजीत जोगी जो कि काफी अनुभवी सदस्य हैं, ने कहा है कि इसी तरह की अन्य योजनाओं को भी इसमें ऐड किया जाये। मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी हमारी प्रथामिक जिम्मेदारी हैं। फूड की एवेलेबल्टी क्या हैं, ग्रेन की एवेलेबल्टी क्या हैं, हम उसको देखेंगे। खाघान्न की उपलब्धता क्या हैं हम उसी पर योजना लागू कर सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में कहा हैं ईएएस जो हमारी सुनिश्चित रोजगार योजना, इम्पलाइमेंट एश्योरेंस स्कीम और जेआरवाई स्कीम हैं। हमने जेआरवाई स्कीम के तहत यह किया क्योकि दस किलो की बड़ी चर्चा हुई हैं कि दस किलो से क्या होगा और भी तो रिक्वासर्मेन्ट हैं परिवार की, परिवार की परिभाषा क्या होगी? कई माननीय सदस्यों का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं ने पहले ही जिक्र किया कि उन्होने ठीक सवाल उठाया हैं। मैंने इस पर विचार किया। जिस समय या प्रोजेक्ट बन रहा था, जिस समय हम इस पर विचार कर रहे थे तो बहुत गहराई से, बहुत गम्भीरता से इस पर कई तरह का अभ्यास हुआ, मानासिक अभ्यास हुआ, फिगर्स को लाया गया। प्लानिंग कमीशन का जो बीपीएल एस्टीमेंट था उस पर हमने नजर डालने की कोशिश की कि पिछले पीडीएस में जो खमियां, जो बुटियां हैं उन पर भी नजर डाली गई। जो एग्जिस्टिंग प्रक्योरेमेंट हैं, हमारे पास जो खाघान्न भंडार हैं और जो प्रक्योरमेंट की क्षमता हैं वे हमको राज्य की एजेन्सी प्रक्योरेमेंट करती हैं और एफसीआई के जरिये होती हैं, पंजाब या आंध्र प्रदेश से चावल आता हैं। अकेले पंजाब से 65 प्रतिशत आता हैं। पंजाब ही ऐसा राज्य हैं जो सेंट्रल पूल को योगदान देता हैं क्योकि हमसे माननीय सदस्यो ने यह सवाल उठाया था कि जो राज्य ज्यादा योगदान देता हैं फूड ग्रेन का उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको जो टेक्स प्रक्योरमेंट करते हैं तो जो वह रूरल सेस हैं वह लगभग 626 करोड़ रूपया पंजाब को केंद्र सरकार देती हैं क्योकि वहां से हम चावल खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते है और हम देते हैं आध्र प्रदेश ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगला :पंजाब में ...(**व्यवधान**)... पंजाब में आपने फाइन, सुपर फाइन वैरायटी को रखकर पंजाब ...(**व्यवधान**)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आगे बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगला : पंजाब के साथ अपने जुल्म किया, पंजाब के साथ अपने डिस्क्रिमिनेशन किया ....(**व्यवधान**)...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो सवाल आगे किया जाना हैं, मैं अभी पीडीएस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूं। मेरा यह कहना था कि गेहूं और चावल आंध्र से मैं लेता हूं 226 करोड़ रूपया। कल तक आंध्र को मिलता था मात्र 113 करोड़ रूपया रूरल से। इसीलिए हमने जो टर्म्स पंजाब के लिए रखा हैं वही आंध्र के लिए रखा हैं। हमने गैर-बिरादरी नहीं की हैं। हमने समानता की हैं। जब उनका चालीस लाख टन परसाल लक्ष्य हैं, जो

आंध्र से हमको चावल मिलता हैं, तो हम क्यों नहीं देंगे उसको दस प्रतिशत। इसलिए हमने उसमें एजोड़ा 226 करोड़ रूपया। उनको भी टेक्स के रूप में केंद्र सरकार देती हैं क्योकि हम वहां प्रक्योरमेंट करते हैं। खासतौर से जोगी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल खड़ा किया हैं कि जे.आर.वाई. में ई.ए.एस. को प्लस किया जाए। अगर हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। उत्पादन बढ़े इसके लिए कोशिश करेंगे और इसके लिए योजना बनायेंगे। अभी जो हुआ हैं वह 10 किलो एक परिवार पर फेमिली हैं।

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला : जिस दिन से आपकी सरकार बनी हैं उस दिन से प्रोडक्शन कम हुआ हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I request the Member not to interrupt. ... *(Interruptions)...*

SHRIMAT1 KAMLA SINHA (Bihar): Sir, I am on a point of order. The hon. Minister heard every Member very patiently and now he is replying. Why should anybody interrupt in between? This is very unfair *...(Interruptions)...*

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I have every right to do so. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Let the Minister. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI KAMLA SINHA: Let the Minister reply*...(Interruptions)...*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जोगी जी और कई माननीय सदस्यों ने कहा मेरे पास नाम भी हैं, मैंने नाम दर्ज किए हैं,करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की हैं कि 10 किलोग्राम जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं—दो डिपेंडेट और दो एडल्ट, कैसे परिभाषित करेंगे कैसे उनको रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे यह हमारे सामने एक ज्वंलत सवाल हैं। मैंने इस सवाल पर काफी गौर किया हैं। जे.आर.वाई. और ई.ए.एस. में काम करने वाले जो मजदूर होंगे उनको इसमें 40 किलो मिल सकता हैं। 10 किलो बी.पी.एल. और 30 किलो पर मैन्डेन और अगर वूमेन हैं कि पर-वूमैण्डेज अगर वे महीने में 30 दिन काम करते हैं तो एक किलो प्रति दिन के हिसाब से सब्सिडाइज्ड रेट पर उसको मिलेगा। इस में जो काम न करने वाले मजदूर हें उनके लिए परेशानी हैं। हम उनको काम से जोड़ना चाहते हैं और देश की दौलत बढ़ाने के लिए हमारी सबसे बड़ी पूजीं श्रम हैं। लेबर हमारी पूंजी श्रम हैं। लेबर हमारी पूंजी हैं इसलिए सबसे बड़ी पूंजह श्रम हैं। लेबर हमारी पूंजी हैं इसलिए उनकी ओर हमारा ध्यान हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर इसकी महत्ता को देखते हुए उनको और अधिक देने की योजना हैं। रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बात साफ कर दी। दूसरी बात जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह हैं कि ....(**व्यवधान**)... गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की पहचान कैसी हो। ....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Order please. *...(Interruptions)...* I request the Minister to address the Chair.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपका जो भी आदेश होगा वह शिरोधार्य हैं। आप सर्वोपरि हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की पहचान कैसे होगी। How do you identify people living below the poverty line? इसकी पहचान का आधार स्पष्ट हैं। जो लाकडावाला एक्सपर्ट ग्रुप हैं उसके अनुसार एनुअली जिनकी 15 हजार से कम इनकम हैं, प्लानिंग कमीशन और एन.डी.सी. के पास इसके जो आधार हैं उन्ही के आधार पर यह तय किया हैं। 15 हजार से नीचे जिनकी एनुअल इनकम हैं, उन लोगों को आइडेंटीफाई करने के करने के लिए गाइड लाइंस भी दी गई हैं, इन गाइड लाइंस में इस बात का जिक्र हैं। जिन राज्यों में क्योकि हमारे माननीय सदस्य जो इस बारे में नजदीक से जानकारी रखते हैं उन्होने आपत्ति उठाई हैं कि आई.आर.डी.पी. और डी.आर.डी.पी. योजना के तहत ए.पी.एल. को भी बी.पी.एल. में रख दिया गया हैं तो वह गलत फायदा ले लेंगे इस अनाज का। इस सब्सिसाइड रेट के अनाज का गलत लाभ उनको मिल जाएगा। इस लिए राज्यों को इस गाइड लाइंस का लाभ मिलेगा। राज्यों को हिदायत दी गई हैं और यह गाइड लाइंस दी गयी हैं राज्य सरकारों को कि आप जब बी.पी.एल. की पहचान करेंगे तो न केवल आपका मानक आई.आर.डी.पी., डी.आर.डी.पी. रहेगा बल्कि 15 हजार से कम आमदनी वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में—हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अरबन का भी उठाइए, अरबन में 75 होगा और ग्रामीण इलाके में कैसे होगा। ग्रामीण इलाके के लिए मैंने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट चर्चा की हैं कि ग्रामीण

इलाके में होगा कि जो सपना के सबसे कमजोर वर्ग होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर ...

5.00 **P.M.**

लैडलेस लेबरर, जो कृषि मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबरर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं जिनका साल भर अनाज नहीं चल पाता हैं, जनवरी में पेड्डी पैदा करते हैं और जून आते आते उनके पास खाने का अनाज नहीं रहता हैं, ऐसे मार्जिनल फारमर्ज जो दौलत पैदा करते हैं उनको अधिकार दिया हैं, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको दिया है....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Just a minute. It is five o'clock now. I would like to know the sense of the House. There is Motion of Thanks on the list of business. ... *(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Before you give your orders I would suggest that let the Minister complete his reply within 5-6 minutes and let the Mover of the Motion just move it and the debate can take place later. We should not just throw everything to the winds. Let the Minister complete, after that let the Mover move the Motion of Thanks. She can continue her speech tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Yes, .we will do like that. The Minister can finish his reply. Then the mover will move the Motion of Thanks.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो सदन की राय होगी, मुझे मंजूर होगी। मैं पांच मिनट मे समाप्त कर दूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, छोटे किसान,बुनकर लोहार, बढ़ई, ग्रामीण कारीगर शिल्पकार जिनको विलेज आर्टिजन कहते हैं, यह ग्रामीण इलाके में पहचान का मापदंड हुआ। जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं उनका मापंदड होगा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग, भार वाहक,कुली का काम करते हैं रिक्शा चलाने का काम करते है टमटम चलाने का काम करते हैं, पटरी पर फल और फुल बेचने का काम करते हैं, ऐसे जो असंगठित जीवन बिताने वाले मजदूर हैं, सब इसमें लिये जाएंगे। जो टी.वी. वाले हैं जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले होंगे, वह तो आमदनी के आधार पर अपने आप कट जाएंगे। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। जों मापदंड होगा, वह रिपोर्ट में दिया हैं, किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया गया हैं कि किस तरह से पहचान करेंगे। एक बात मैं और कहूंगा, मेरी बोलने की नीयत तो थी लेकिन आपका बिजनेस हैं, एक यह सवाव उठाया गया कि आदिवासी इलाकों में क्या होगा देखा जाए तो जो चित्र चित्रित किया गया हैं, जिस तरह से यह आंका गया हैं, सही मायने में आदिवासी इलाके में ध्यान देने की व्यवस्था हैं। मेरे पास आंवटन हैं, केंद्र सरकार के पास आबंटन हैं आदिवासी इलाकों के लिए राज्यों का जो रिक्मेंडेशन आएगा उसको प्रायर्टी देंगे क्योकि हमें इस योजना को धरती पर उतराना है चाहे जो भी हो। हमारा संकल्प हैं, उनके प्रति हमारा कमिटमेंट हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आज तक हाई क्लास के लोग, हम लोग, आप लोग जो बैठे हुए हैं बीच के लोग राशन लेते रहे हैं यह रेड वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 36 प्रतिशत लोग हैं जिनकी आबादी 32 करोड़ हैं, अब हमने यह लक्षित किया हैं, टारगेट बनाया हैं कि इस नयी पी.डी.एस. के अंदर उनको लाभ मिलता रहे। यह इस योजना की प्रथम प्रायर्टी है। यह लोग अब तक केवल थोड़ी चीनी ले कर राशन कार्ड छोड़ दिया करते थे, सारा अनाज कालाबाजरी में चला जाता था, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि 33 प्रतिशत लोग ही आज तक दुकान पर जाते थे। अब मेरा विश्वास हैं जिन लोगों को अब हम कार्ड देंगे, वह राशन की दुकान पर पहूंचेंगे और एक छंटाक अनाज भी नहीं छोडेंगे, जरूर अनाज लेंगे। यह जागृति लाने के लिए सब जगह कैम्प करने जा रहे हैं, सभी राज्यों में यह निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना हैं। इसोंशियल कमोडीटीज एक्ट के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हमारा अलग से सर्कुलर जा रहा हैं। आगे जब इस विषय में विस्तार से बात होगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ब्लैक मार्किटिंग को और फूडग्रेन्स के डाइवर्शन को रोकने का हमारा संकल्प हैं। हम इसमें कामयाब होंगे। पहले भी हम कामयाब हुए हैं । कुछ राज्यों में एक करोड़ से अधिक का गेहूं कालाबाजरी में पकड़ा गया और 1137 दुकानों के लाइसेंस जब्त किये गये, निलम्ब्ति किये गये। हमने राज्यों को यह सर्कुलर दिया था कि व्हीट कंट्रोल लिमिट लगाएं। हमने फुडग्रेन कंट्रोल लाइसेंस का आदेश जारी किया जिसके अनुसार राज्यों ने अपनी अपनी क्वांटिटी की लिमिट फिक्स कर दी और गिरफ्तारिया हुई चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य

प्रदेश की जिलेवार फिगर मेरे पास हैं। समय नहीं हैं, नहीं तो मैं विस्तार से बताता। उत्तर प्रदेश का भी फिगर हैं, बिहार का भी फिगर हैं। मैं इसको यही रोकता हूं। लेकिन आपके जो कंस्ट्रक्टिक कुछ सुझाव आए हैं ....(**व्यवधान**)... मैं उसको कन्कलूड करता हूं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इश्यू प्राइस के विषय में जो कंफ्यूशन हैं ....(**व्यवधान**)... मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं। ....(**व्यवधान**)... 26 जनवरी को इश्यू प्राइस के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इश्यू प्राइस दो रूपये पचास पैसे किलो बी.पी.एल. गरीबी रेखा के नीचे के 32 करोड़ लोगों को जारी होगा और आप यह शंका कर रहे हैं कि कार्ड कैसे बनेगा। हमारी अंसारी जी सवाल उठा रहे हैं कि 26 जनवरी को गणंतत्र दिवस पर आपने एलान किया और अभी तक राज्यों को मुहैया कैसे नहीं हुआ। इस मामले में मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे कोई राज्य हों जब तक स्पेशल राशन कार्ड उनका तैयार नहीं होगा तब तक उस राज्य में सह खाघान्न जारी नहीं किया जाएगा क्योकि हम खाघान्न का दुरूपयोग नहीं होंने देंगे। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी हैं। हम यहां मंत्री है इसलिए हमने राज्यों को आदेश दिया हैं कि आप अपने-अपने स्पेशल कार्ड ....(**व्यवधान**)... विजिलैंस कमेटी और मैनेजिंग कमेटी ब्लांक लेबल पर ....(**व्यवधान**)... उनको भी नहीं मिला सभी राज्यों का एक समान ....(**व्यवधान**)... नहीं मिल सका क्योकि कार्ड नहीं तैयार हैं। केवल पश्चिमि बंगाल ने संकेत दिया हैं। तमिलनाडु ने कहा हैं कि 31 मार्च तक कंप्लीट होगा। माननीय मूख्य मंत्री जी का यहां इन्फर्मेशन आया हैं, जो उन्होने प्रैस में भी दिया हैं और वहां भी सूचना हैं। केरल ने कहा है कि हम इसी महीने तक तैयार कर देंगे। गुजरात ने कहा हैं कि हम 18 मार्च के बाद तैयार हो जायेंगे। सभी राज्यों का मैंने कंसेसेज लिया हैं। सभी राज्यों के फूड मिनिस्टर्ज का मैंने कंसेंसेज लिया हैं और सभी से कहा हैं कि आप समय निर्धारित कीजिए। पश्चिमी बंगाल में मुख्य मंत्री माननीय ज्योति बसु जी ने कहा हैं कि हम तो 15 तारीख को ही रेडी होंगे, 15 फरवरी को ....(**व्यवधान**)... फिर तैयारी में टाईम लगा चूंकि प्राइसिंग का डिसीजन लंबित था। प्राइस का मामला विचारधीन था। पश्चितमी बंगाल में सिर्फ 22 म्युनिसिपैलिटीज में कार्ड बनना बाकी हैं वरना पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में कार्ड तैयार हुआ हैं। यह खुशी की बात हैं। पश्चिम बंगाल को प्रायरिटी आधार पर रखेंगे। सब से पहला राज्य पश्चिम बंगाल होगा जहां यह हमारी योजना लागू होने जा रही हैं और जहां गरीबों के प्रति डैडिकेशन हैं, कमिटमेंट हैं। इन्ही शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ....(**व्यवधान**)... मैने आपका बहुत समय लिया ....(**व्यवधान**)... अभी 30 प्रतिशत राज्यों की सूचना आई हैं ....(**व्यवधान**)... हरियाणा से सूचना हैं। हरियाणा से सूचना हैं कि 31 मार्च तक तैयार कर देंगे। जो राज्य कार्ड तैयार करेगा, जो विजिलेंस कमेटी बनायेंगे, मानिटरिंग सिस्टम को सुद्दढ करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग और डाइवर्शन को रोकने की योजना बना करके जब तक हमारे पास नहीं लायेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। राज्यों को केंद्र अपनी टीम भेजता हैं। संतुष्ट होने के लिए हम केंद्र से टीम भेजते हैं। पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट लेकर हमारी टीम आई हैं। उन्होने कहा हैं कि 44 म्युनिसिपैलिटीज में अभी बन रहा हैं। 22 में बन गया हैं और 22 में बाकी हैं। ....(**व्यवधान**)... आंध्र प्रदेश् का जहां तक सवाल हैं, माननीय सदस्य ने यहां उठाया था। जो क्टाव होता हैं , प्राकृतिक आपदा होती हैं। यह तो 32 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजना हैं। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. दोनों का दाम तय हैं। 2.50 बी.पी.एल. का और 4.50 ए.पी.एल. का और चावल भी 3.50 बी.पी.एल. का और 6.50 ए.पी.एल. का ......(**व्यवधान**)... इस 32 करोड़ के बाद भी यदि प्राकृतिक आपदा होती हैं जैसे आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का मामला हैं, तो नेचुरल कैलोमिटी के द्दष्टिकोण से केंद्र सरकार को हमेंशा अधिकार हैं कि जहां ऐसी सिचुएशन उपस्थित होगी तो हम वहां एंटी हंगर मूव चलायेगे। वहां फूडग्रेन भी ज्यादा देने का हमको अधिकार हैं और हम ऐसे राज्यों को निश्चित रूप से देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो वैलफेयर स्कीम्ज हैं चाहे मिड-डे-मील हो, चाहे एस.सी. एस.टी. के छात्रावास हैं, एस.सी. और एस.टी. के छात्रों के जो होटल हैं। स्टूडेंटस हैं, एस.सी./एस.टी. के छात्रों भीं फूड ग्रेन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा

महोदय,हम ने कई योजनाएं बनाई हैं और आगे जब भी इस पर बात होंगी मैं तैयार हूं कि इस पर विस्तार से बहस हो जाय। महोदय, मेरा निवेदन हैं कि इस योजना को मैं ने आप के सामने रखा हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने 40 किलोग्राम की जो शांका उठाई थी, उस को मैंने साफ कर दिया हैं। मेरा निवेदन हैं कि इस योजना को इस तरह से न लिया जाए। गरीबों के लिए पहली बार जो काम हुआ हैं, मैं समझता हूं कि हम उस को और ज्यादा सुप्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं फूड ग्रेस का दुरूपयोग रोकने के लिए हम सख्त-सख्त कार्यवाही करेंगे। महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य विजय कुमार

मल्होत्रा जी ने ट्रेडर्स और मिलर्स का सवाल उठाया कि आप ने 3 रूपया दाम बढ़ा दिया। महोदय, आप को याद होगा कि इसी राज्य सभी में, उच्च सदन में पिछली बार जब मैं हाउस का जवाब देने आया था तो माननीय सदस्य ने काफी और अटैक किया था जाबकि मेरी नीयत नहीं थी। मुझे उन से फायदा हो गया। मैंने पता लगाया कि क्या बात है? उन्होने कहा कि आप लोग ट्रेडर्स और मिलर्स को फायदा देते हैं। उन्हे सब्सिडाइज्ड रेट पर गेहूं देते हैं। इस बार हम ने ताला-चाबीं बंद कर दिया हैं। हम ने दो रूपया दाम ट्रडर्स और मिलर्स का खत्म कर दिया हैं, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? The subsidy is only for the people who are below the poverty line. महोदय, सब्सिडी का आकलन मैं बताता हूं। सब्सिडी पहले थी 5,884 करोड़ रूपया जो पुरानी पी.डी. एस. चल रही थी। यह हैं टार्गेटेड पी.डी.एस. और पुरानी पी.डी.एस. में फूड डिपार्टमेंट की सब्सिडी थी 5,884 करोड़। इस बार वह बढ़ाकर बी.पी.एल. को, 32 करोड़ लोगों के लिए सबिसाडाइज्ड दाम पर सस्ते अनाज की योजना हैं और इस से हम को लग रहा हैं 8,283 करोड़ 90 लाख। तो यह लगभग 2,400 करोड़ बढ़ोतरी हुई हैं। एप्रोक्सीमेटली 2400 करोड़ की सब्सिडी हैं, लेकिन bulk of the total subsidy will go in favour of the poorest of society. इस सरकार इस धन का पूरा इंतजाम करेगी। इस सरकार के पास गरीबों के लिए दिल हैं, गरीबों के प्रति डेडीकेशन हैं, कमिटमेंट हैं। इसलिए यह धन गरीबों के लिए दिल हैं,गरीबों के प्रति डेडीकेशन हैं, कमिटमेंट हैं। इसलिए यह धन गरीबों के हित में जाएगा जिन के तन पर कपड़ा नहीं हैं जिन के मुंह में जुबान नहीं हैं, वहीं भगवान हैं। इसलिए हम यह उन को देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, such an important motion is going to be moved by Shrimati Kamla Sinha and I am very sorry that neither the hon. Prime Minister nor a senior Minister is here; or at least the hon. Leader of the Opposition is also not here ...*(Interruptions)...* Yes, I am asking about the hon. Leader of the Opposi tion... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): We had taken sense of the House. The hon. Member will move the motion and speak tomorrow. And tomorrow, perhaps, all the Members would be here-.*(Interruption)..*

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, इस सदन में ऐसी परंपरा है कि जब भी राष्ट्रपति के अभिभाषणा पर मोशन आफ थैक्स मूव होता हैं तो प्रधान मंत्री जी उपस्थित रहते हैं। अगर वह नहीं रहते हैं तो लीडर आफ द हाउस उपस्थित रहते हैं। यहां दोनों नदारद हैं। यह सदन का अपमान हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): It is up to her. It is up to the hon. Member. If she wishes to move now, she can move or if she wants to move in the presence of the hon. Prime Minister...*(Interruptions)...*

SHRI S. S. AHLUWALIA: She cannot move according to her wish ...*(Interruptions)...* There are certain conventions in the House... *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The sense of the House has already been taken... *(Interruptions)...* It was also decided that the hon. Member would move the motion...*(Interruptions)...*

DR. U. VENKATESWARLU: It has already been informed that the hon. Prime Minister has gone to Orissa since tacre is a big tragedy. It is known to the House ...*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): There is a message from the hon. Prime Minister saying, "I shall be visiting Orissa and returning in (he evening. I shall, therefore, not be able to attend the post lunch sitting of the Rajya Sabha." permission was also given by the Chair...*(Interruptions)...*

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is all right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The Deputy Chairman had already given the permission. On that basis, I asked her to move the Motion of Thanks.

SHRI S.S. AHLUWALLV You should have ready the letter first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now, Shrimati Kamla Sinha, please.